

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No.E(NG)1/2019/SR 6/6


New Delhi, dated: 26 .08.2019

**The General Managers,
All Zonal Railways &
Production Units.**
(as per standard mailing list)

Sub: Seniority of non-gazetted staff - Master Circular.
(updated August, 2019)

Please find enclosed herewith a copy of updated Master Circular No.34 on the above subject for information and guidance.

DA : As above.


(D. Joseph)

**Joint Director /Estt.(N)
Railway Board**

No.E(NG)1/2019/SR 6/6

New Delhi, dated: 26 .08.2019

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).


for Secretary/Railway Board

1. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
2. The Secretary General, IRPOA, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
3. The General Secretary, AIRPFA, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi-110001.

...2/-

4. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secy., Rly. Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secy., Rly. Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
9. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
10. Adviser (Safety), Railway Board, New Delhi.
11. The Director General & Ex Officio General Manager, RDSO, Lucknow.
12. RLDA, Near Safdarjung Railway Station, Motibagh-1, New Delhi-110021.
13. DFCCIL, 5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Complex, New Delhi-110001.
14. Office of Chief Administrative Officer, Indian Railways(Workshop Projects), Chamber Bhawan, Judge's Court Road, Anta Ghat, Patna-800001, Bihar.
15. The Chief Mechanical Engineer, Indian Railways Organisation For Alternate Fuels, 12th Floor, Core-1, Scope Minar, Distt. Centre, Laxmi Nagar, Delhi-92.
16. Genl. Secy., All India SC & ST Rly Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
17. CAO, Rail Coach Factory/Raebareli Project, Kishanganj, Delhi-7.
18. Adviser (Projects), Room No.548, M/O Railways, Rail Bhawan, New Delhi.
19. President/RBSS Gr. 'A' Officer Association, Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
20. Genl. Secy, Rly Board Non-Ministerial Staff Association, Room No.42, Rail Bhawan, New Delhi.
21. CAO, Indian Railways Organisation for Alternative Fuels, 12th floor, Core-I, SCOPE Minar, District Centre, Laxmi Nagar, New Delhi - 110009.
22. Chairman, Technology Mission for Indian Railways (TMIR), Room No.218, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
23. Co-Chairman, Technology Mission for Indian Railways (TMIR), Room No.218, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
24. Chairman, Advisory Group of Experts (AGE), Room No.218, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
25. The Convener Member, Advisory Group of Experts, Room No.218, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
26. The Chairmen/All RRBs/Indian Railway.

Copy to -

PPSs to MR & MoS.

PPSs to CRB, FC, MS, MRS, MT, MTR, ME, Secretary, DG(P), DG(S&T), DG(RS), DG/RHS and DG/RPF.

PPSs to AM(Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), Adv.(IR) and Adv.(Vig.)

PSs to ED Fin(BC), ED(Safety), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), ED(Projects), EDERS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDE(Fin), EDF(B), ED(Planning), ED(RE), ED(Sig), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDLM, EDE(GC), EDRE(S&T), ED(Stat), EDRS(S), ED(Track/MC), ED(T&MPP), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(DAv.), EDRE(S), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G), JS(E&P) and JS and IG/RPF.

JD(OL), DPC-I, DPC- II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), Dir.(Safety)I, Dir.(Safety)II, Dir.(Safety)III, DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), JDE(Rep), JDE(GP), JDE(RRB), DD(Code Revision), DD(Health), DDE(N), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, US(A), DDE(D&A), DDV(A&P), DDE(Rep) I, DDE(Rep)II, DD(OL)I, DD(OL)II, E(D&A), E(GP), E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II , E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT) II, E(RRB), ERB-II, ERB-V, PC-III, PC-IV, PC- V, E(P&A)I, E(P&A) II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), E(G), Health Branch, Safety Branch, A/C-III & Code Revision Cell.



सत्यमेव जयते

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

अराजपत्रित रेल कर्मचारियों की वरीयता —
मास्टर परिपत्र

Seniority of Non-Gazetted Staff-
Master Circular

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
(रेलवे बोर्ड **RAILWAY BOARD**)

No.E(NG)1/2019/SR 6/6

New Delhi, dated: 26 .08.2019

**The General Managers,
All Zonal Railways &
Production Units.**
(as per standard mailing list)

Sub: Seniority of non-gazetted staff - Master Circular.
(updated August, 2019)

At present the orders relating to the subject "seniority of non-gazetted staff" are contained in Chapter-3 of IREM-2009, Reprint Edition and various letters/circulars issued from time to time by the Ministry of Railways (Railway Board). The Master Circular No.34 based on IREM provision and instructions issued on the subject upto September, 1991 has been updated by incorporating the relevant provisions of instructions issued upto now, and the updated Master Circular No.34 is given below for the information and guidance of all concerned.

I. General Principle of Seniority:

2. The seniority among the incumbents of a post in a grade, unless specifically stated otherwise, is governed by the date of appointment to the grade. The grant of pay higher than initial pay does not, as a rule, confer on a Railway employee, seniority above those, who are already appointed against regular posts.

2.1 The criterion for determination of relative seniority of non-gazetted staff in posts, which are partially filled by promotion and partially by direct recruitment, should be the date of regular promotion after due process in the case of a promotee and the date of joining the working post after due process in the case of a direct recruit - subject to maintenance of inter-se-seniority of promotees and direct recruits among themselves. When the dates of entry into a grade of promoted railway servants and direct recruits are the same, they should be put in alternate positions, the promotees being senior to the direct recruits, maintaining inter-se-seniority of each group.

2.2 Subject to what has been stated in paragraphs 2.1, 3, 4, 5 and 6, when the dates of appointment to the grade are the same, the dates of entry into the grade next below it shall determine seniority. If those dates also coincide, then the dates of entry into each of the lower grades in order down to the lowest grade in the channel of promotion shall determine seniority. If these dates are also identical, then the relative date of birth shall determine seniority, the older person being the senior.

2.3 A Railway employee, once promoted against a vacancy which is non-fortuitous, should generally be considered senior in that grade to all others who are subsequently promoted, unless otherwise specified.

2.4 Staff employed in train passing/train operation duties are to be absorbed in alternate category not involving train passing and train operation duties if they fail to pass the periodical refresher course even in the second attempt. However, they are allowed to undertake further refresher course at an interval of a minimum period of six months, and they are reabsorbed in original category on occurrence of the first vacancy if they pass the refresher course. In such a case, the employee should lose seniority by the number of places from his original position equivalent to the number of persons promoted during the interval between his absorption in an alternate category and his eventual re-absorption in the original category. For instance, if an employee holds the 15th position originally and during his absence in an alternate category, 3 persons have been promoted, he would, on re-absorption in the original category, rank as 18th in the seniority list.

2.5 The quota fixed for direct recruitment will be relevant only at the recruitment stage and will have no relevance for fixation of seniority which will be assigned by application of normal rules. Where quota fixed for direct recruits in a particular year is not fulfilled on account of non-availability of candidates, the short fall may be made good in the following year without giving retrospective benefit for purposes of seniority.

2.6 In case the training period of a direct recruit is curtailed in the exigencies of the service, the date of joining the working post in case of such a direct recruit, for purpose of seniority, shall be the date he would have normally come to a working post after completion of the prescribed period of training.

2.7 The provision contained in sub Para 2.6 above will also apply to the Inter-Apprentices and departmentally selected candidates against the quotas prescribed in certain categories to be filled by LDCE (such as 10% in the case of Traffic & Commercial Apprentices).

(ACS No.2 issued under Board's letter No. E(NG)I/89/SR 6/35 dated 23.08.1991).

[E.56 Col/8/3 dated 21.11.1953, E.53/SR 6/21/3 dated 8.3.1954, 2.8.1954, 12.8.1954, 13.8.1954, 24.9.1954, E(NG)60/SR 6/2 dated 15.9.1960, E(NG)53/SR 6/7 dated 6.2.1961, E(NG)60/SR 6/2 dated 16.11.1961, E(NG)62/SR 6/35 dated 12.3.1963, E(NG)67/SR 6/35 dated 24.11.1967, E(NG)I/80/SR 6/4 dated 4.2.1981, E(NG)I-78 SR 6/42 dated 7.4.1982 and Paras 302 & 314 of IREM, 1989, 2009 Reprint Edition]

3. The seniority of candidates recruited through the Railway Recruitment Board (previously called Railway Service Commission) or by any other recruitment agency should be determined as under:-

(a) Candidates who are sent for initial training to training institutions will rank in seniority in the relevant grade based on the order of merit obtained at the examination held at the end of the training period before being posted to a working post; Those who join the subsequent courses and those who pass the examination in subsequent chances will rank junior to those who had passed the examination. In case, however, a person belonging to the same RRB panel and sent for initial training in batches due to administrative reasons, and not because of reasons attributable to the candidates, the inter-se-seniority will be regulated batch-wise, provided persons higher up in the panel of RRB, not sent for training in the appropriate batch (as per seniority) due to administrative reasons, shall be clubbed along with the candidates who took the training in the appropriate batch for the purpose of regulating the inter-se-seniority, provided such persons pass the examination at the end of the training in the first attempt.

(Authority: Railway Board's letter No. E(NG)I/89/SR 6/32 dated 14.03.1993, ACS No.9).

(b) Candidates who do not have to undergo any initial training, the seniority should be determined on the basis of merit order assigned to them by the Railway Recruitment Board (previously Railway Service Commission) or other recruiting agency. [E(NG)57/SR 6/2 dated 25.4.1957 and Para 303 of IREM-1989, 2009 Reprint Edition]

3.1 In cases where directly recruited sports persons are required to undergo training in training schools before appointment against working posts, the normal rules of seniority contained in Para 303 of IREM, 2009, Reprint Edition will apply.

(Authority: Railway Board's letter No. E(NG)I/94/SR 6/6 dated 08.12.1994).

4. When two or more candidates are declared to be of equal merit at one and the same examination/selection, their relative seniority is determined by the date of birth - the older being the senior. [E56 (Manual/111), Para 304 of IREM-1989, 2009, Reprint Edition].

5. When, however, a candidate whose seniority is to be determined under Paras 3 & 4 above, cannot join duty within a reasonable time after the receipt of the order of appointment, the appointing authority may determine the seniority by placing him/her below all the candidates selected at the same examination/selection who have joined within the period allowed for reporting to duty or even below the candidates selected at subsequent examination/selection who have joined before him/her. (Para 305 of IREM-1989, 2009, Reprint Edition).

6. Candidates selected for appointment at an earlier selection shall be senior to those selected later, irrespective of the date of posting, except in the cases coming under Para 5 above. (Para 306 of IREM-1989, 2009, Reprint Edition).

7. Probationary Period

When confirmation follows a specified probationary period, if any, without break, the date of appointment to the grade is reckoned from the date of commencement of such probationary period. (Para 307 of IREM-1989, 2009, Reprint Edition)

7.1 When a probationary period is followed by an extended probationary period and confirmation follows such extension without break, the date of appointment to the grade or post, unless otherwise stated, should be reckoned from a date later than the commencement of the probationary period, to the extent of the extension of the probationary period. In cases where probationary period is not extended and staff are confirmed at the end of such period the date of appointment to the grade or post will be that on which the employee was sent to the training school for initial training or the date of joining the working post whichever is earlier.

8. Departmental Examination/Trade Test

Where the passing of a departmental examination or trade test has been prescribed as a condition precedent to the promotion to a particular non-selection post, the relative seniority of the railway servants passing the examination/test in their due turn and on the same date or different dates which are treated as one continuous examination, as the case may be, shall be determined with reference to their substantive or basic seniority. (Para 315 – IREM-1989, 2009, Reprint Edition)

8.1 A railway servant who, for reasons beyond his control, is unable to appear in the examination/test in his turn along with others, shall be given the examination/test immediately he is available and if he passes the same, he shall be entitled for promotion to the post as if he had passed the examination/test in his turn.

NOTE:-

- A. The expression 'reasons beyond his control' appearing above should be interpreted to include the following:
- i) Sickness of the railway servant supported by the medical certificate of the authorised medical attendant;
 - ii) Sickness of the members of a railway servant's family supported by the medical certificate of the authorised attendant, so serious that the railway servant could not be reasonably expected to take the test;
 - iii) Proved non-receipt of intimation of the examination/ test owing to being on leave or on duty elsewhere than at the headquarters or for any other reasons acceptable to the administration; and
 - iv) Administration not relieving the railway servant for such examination or test.
- B. This will not apply to Departmental examination prescribed in Appendix 2 & 3 IREM. (Para 316 IREM-1989, 2009, Reprint Edition).

[Paras 306, 307, 308, 315, and 316 of IREM-1989, 2009, Reprint Edition]

II. Seniority of staff who seek transfer of their own accord.

9. In cases where a Railway servant is transferred from one Railway to another on his/her own request, the transferred Railway servant should be placed below all existing confirmed as well as officiating and temporary railway servants in the relevant grade in the promotion group in the new establishment irrespective of his/her date of confirmation or length of service of officiating or temporary service.

9.1 The above principle is also applicable equally for transfer on request from one cadre /Division to another cadre/Division on the same Railway.

9.2 The above principle is not applicable to staff transferred from one seniority unit to another within the same Railway on mutual exchange,

9.3 The expression "relevant grade" referred to in Para 9 above applies to grades where there is an element of direct recruitment. Transfer on request from Railway employees working in such grades may be accepted provided they fulfil the educational qualifications laid down for direct recruitment to the post. No such transfer should be allowed in the intermediate grades in which all the posts are filled entirely by promotion of staff from the lower grade(s) and there is no element of direct recruitment.

(Authority: Ministry of Railway's letter No. E(NG)I/99/TR/15 dated 08.02.2000, ACS No.95).

9.4 No such transfer should be allowed in the intermediate grades in which all posts are filled entirely by promotion of staff from the lower grades and there is no element of direct recruitment.

[E(54)/SR 6/24/3 dated 16.11.1954, E.53/SR 6/21/3 dated 17.11.1954, 8.12.1954, E.55/SR 6/6/3 dated 19.5.1955, E.55/SR 6/16/3 dated 27.2.1956, E.53/SR 6/21/3 dated 22.8.1955, E(NG)55/SR 6/56 dated 17.10.1956, E(NG)65 SR 6-31 dated 30.9.1965, 8.12.1965, 29.1.1966, 1.4.1966, 1.12.1966, E(NG)I/69/SR 6/15 dated 24.6.1969 and E(NG)I/85/SR 6/14 dated 21.1.1986]

III. Transfer on Mutual exchange.

10. Railway Servants transferred on mutual exchange from one cadre of a division, office or Railway to the corresponding cadre in another Division, office or Railway shall retain their seniority on the basis of the date of promotion to the grade or take the seniority of the Railway Servant with whom they have exchanged, whichever of the two is lower.

10.1 Mutual transfers may also be permitted between staff in two different grades, but only in the recruitment grade of the cadre and not in intermediate grades. Both the employees seeking mutual exchange shall have to give a written undertaking accepting reversion unconditionally and willing in their own interest to the recruitment grade and bottom seniority in their respective new unit.

(Authority: Railway Board's letter No. E(NG)I/2018/TR/8 dated 26.10.2018)

IV. Transfer on mutual exchange of qualified and non-qualified Accounts Clerk.

11. The unqualified Accounts clerk will retain the seniority he/she held in the old office or will take the seniority of the qualified clerk with whom he/she has exchanged, whichever is lower.

11.1 The qualified Accounts Clerk will retain the lower of the two seniorities indicated below: -

- (a) Seniority he/she held in the old office or the seniority of the unqualified Clerk with whom he has exchanged in the new office, whichever is lower; or
- (b) He/She should be placed below all the qualified Clerks Grade-II in the new Unit (both permanent and temporary).

11.2 Mutual transfer of such employees, who are not on par in the matter of eligibility for promotion should, as far as possible, be avoided.

[E(NG)63/SR 6/17 dated 27.9.1963]

V. Transfer in the Administrative interest.

12. Seniority of Railway servants on transfer from one cadre to another in the interest of the administration is regulated by the date of promotion/ date of appointment to the grade as the case may be.

VI. Seniority for promotion as Section Officer (Accounts) Inspectors of Station or Stores Accounts:

13. Seniority for promotion to the rank of Section Officers (Accounts) or Inspector of Station or Stores Accounts should count entirely according to the date of passing the examination qualifying for promotion to those ranks. Candidates who pass the examination in a particular year are ipso facto senior to those who qualify in subsequent years irrespective of their relative seniority before passing the examination. On receipt of the result of the above examination an appropriate Selection Board on each Railway Administration should immediately arrange to assign a suitable place to each such candidate in the panel based on their relative seniority. The staff placed on the panel in any year will rank enbloc senior to those empanelled in subsequent years.

(Authority: Railway Board's letter No. 2004/AC-II/20/34 dated 14.12.2004 – ACS No.170).

13.1 Directly recruited Section Officer (Accounts)/Cost Accountants and Inspectors of Station Accounts, if any, should be assigned a position on the proforma panel of these categories as soon as they are given charge of working posts after completion of the prescribed training. They should be placed below the last man officiating against a non-fortuitous vacancy in these categories of a Section Officer (Accounts). In case more than one direct recruit has to be assigned a position, their

inter-se-seniority should be with reference to the position assigned to them by the Railway Recruitment Board. They will retain their seniority thus allotted subject to their passing Appendix-3 (IREM) examination within the prescribed period, except in the case of Cost Accountant who are not required to pass such an examination. In the event of any directly recruited Section Officer (Accounts) not passing the examination within the prescribed period, he is liable to be discharged. In case, however, a further chance is given, the question of his retaining his original seniority will be considered on the merit of each case. Such cases should be referred to the Railway Board for decision. (Para 317 (b) of IREM Vol.I-1989, 2009, Reprint Edition)

VII. Seniority of Accounts Clerks on promotion as Junior Accounts Assistant in Accounts Department.

14. The seniority of Junior Accounts Assistant is to be determined with reference to the date of promotion of a promotee and with reference to date of appointment of a direct recruit. Seniority of directly recruited Junior Accounts Assistants who pass the Appendix-II (IREM) Examination during the extended period of probation should be fixed as per the year of passing the Appendix-II Examination. Directly recruited Junior Accounts Assistants, passing Appendix-2 (IREM) Examination within extended period of probation losing seniority to other persons of his/her batch but not to promotees.

[E(NG)I/65/SR 6/26 dated 23.8.1965, E(NG)I/ 69/PM 1/20 dated 25.7.1969, E(NG)I/78/ PM 1/304 dated 5.1.1979, PC-III/78/UPG/8 dt.16.05.1980 and Para 318 of IREM Vol.I-1989, 2009, Reprint Edition, E(NG)I/2000/SR 6/20 dated 24.04.2001]

14.1 Seniority of Accounts staff on their transfer on own request will be regulated in terms of instructions contained in Railway Board's letter No. E(NG)I/2005/TR/5 dated 17.05.2005.

14.2 Seniority of Junior Accounts Assistants and Accounts Clerks recruited through RRB is to be fixed in terms of Para 303(b) of IREM Vol.I, 1989 Edition.

VIII. Seniority of staff appointed on compassionate grounds, sports, cultural quotas etc.

15. Seniority of such staff, will be reckoned from the date of their regular appointment in service.

IX. Seniority of Casual Labour & substitutes

16.1 When screened and absorbed in regular posts, substitutes and casual labour will count their seniority from the date of regular absorption.

16.2 For the purpose of screening, however, their seniority will count on the basis of total number of days put in by them as casual labour.

[E(NG)II/83/CL/SC/9 dated 7.5.1983, E(NG)I/69/SR 6/25 dated 1.11.1969 and E(NG)I/80/SR 6/21 dated 5/8.7.1980]

X. Seniority of staff working in Survey/Construction Projects and open line.

17. There should be a combined cadre comprising the staff in the open line as well as in the Survey and Construction Projects to ensure that there is no disparity in the prospects of promotion between the open line staff and Construction staff. There is, however, no objection to allow to the staff in Survey & Construction Projects, promotions to one grade higher than on the open line in the exigencies of work. This benefit shall not be taken into consideration for any purpose including eligibility for selection to Group 'B' posts.

17.1 In merging the cadre, the staff in Survey & Construction shall be assigned seniority which they would have got on open line but for working in Survey & Construction Project.

17.2 The above benefits are not applicable to local recruits appointed on the Survey & Construction Projects without the agency of Railway Recruitment Board (previously Railway Service Commission).

The inter-se-seniority of locally recruited staff as in the Survey & Construction Projects may be maintained in the absorbing department irrespective of the date of their physical absorption provided: -

(a) They have been found suitable after prescribed screening for absorption; and

(b) There has been no specific selection at which their earlier seniority has been disturbed.

17.3 In cases, however, where the staff continued to serve in the Survey & Construction Projects at their own request, this benefit would not be admissible.

[E(NG)65/RE 1/8 dated 15.4.1965, E(NG)63/RE 1/32 dated 20.12.1965, E(NG)I-70/SR 6/43 dated 13.3.1972 & 17.8.1972 and E(NG)I/72/RE 1/41 dated 27.11.1973]

XI. Seniority of medically de-categorised staff.

18. The medically de-categorised staff absorbed in alternative post, whether in the same or other cadres, should be allowed seniority in the grade of absorption with reference to the length of service rendered in the equivalent or corresponding grade, irrespective of the rate of pay fixed in the grade of absorption. The staff, who are in grade higher than the grade of absorption at the time of medical de-categorisation, total service in the equivalent and higher grade is to be taken into account. This is subject to the proviso that if a medically de-categorised employee happens to be absorbed in the cadre, from which he/she was originally promoted, he/she will not be placed above his/her erstwhile seniors in the grade of absorption.

18.1 While absorbing the medically de-categorised running staff in alternative posts, a percentage of basic pay representing the pay element in running allowance, as decided by the Government through administrative instructions from time to time, should be added to the minimum as well as maximum of the scale of pay for purposes of

identifying 'equivalent' posts and their seniority should then be fixed in the equivalent absorbing posts.

18.2 In the case of staff who are not required to undergo periodical medical examination but who on their own accord request for change of category on grounds of health and are recommended change of occupation by the medical authority, their change will be treated as transfer on own request and dealt with as per Para 9.

18.3 Staff, who come on transfer to another unit accepting bottom seniority and later got medically de-categorised, will get the benefit of only the service in the new unit for determination of seniority after de-categorisation.

18.4 Sometimes due to vacancies not being available in equivalent grades, a medically de-categorised employee has to be offered absorption in lower grade. In some cases such employees refuse lower grade in the hope of vacancies in the higher grades materialising. It is open to such staff to accept appointment in lower grade with the request that if a vacancy in a grade equivalent to what he had held before de-categorisation occurs in the same cadre, he should be considered eligible for the same in preference to a junior medically de-categorised employee. While the employee could be expected to put in an application when this contingency happens, it is also necessary for the administration suo-moto, when considering a subsequently de-categorised employee for absorption in a cadre, to look into cases where senior de-categorised employees might have been absorbed in lower grades in the same cadre during previous three years and initiate a review.

18.5 As a result of the review referred to in Para 17.4 above, the junior employee already absorbed and working in a higher grade should not be displaced to make room for the senior. The senior may be promoted against the next vacancy arising in the grade and relative seniority in the grade re-fixed taking into account the position before medical de-categorisation.

18.6 When a junior has already been absorbed in an equivalent grade but a senior gets medically de-categorised during the next three year period and has necessarily to be absorbed in the same cadre as the junior employee, but no vacancy in a similar grade is available he/she may be provisionally absorbed in a lower grade with the understanding that the next vacancy occurring in the higher grade would be given to him/her. On such a vacancy occurring and his/her being posted therein, seniority should be re-cast as referred to in Para 17.5 above.

18.7 There may be cases, where a senior employee was absorbed in a grade taking into account his/her position before de-categorisation and a junior got promoted subsequently to a higher grade but ultimately gets medically de-categorised and becomes eligible for alternative employment in a higher grade. It is not the intention that such cases, which happened because of the efflux of time, should be reviewed.

18.8 Medically unfitted direct recruits offered alternative employment should be placed at the bottom of the existing panel of the new category but should take

precedence over candidates who are offered appointment in that category from subsequent panels.

[E.55/SR 6/15/3 dated 22.10.1956, E(NG)56 SR 6/15 dated 14.3.1957, E(NG)63 SR 6/31 dated 26.8.1964, E(NG)II/68/SR 6/32 dated 26.10.1971, E(NG)II-73 RE 1/16 dated 11.4.1975, E(NG)II-76 SR6/37 dated 18.9.1976, E(NG)I-71 SR 6/39 dated 31.5.1977, E(NG)I-78 SR 6/6 dated 11.1.1979, E(NG)II/77/RE 3/2 dated 2.9.1977, E(NG)I/80/SR 6/83 dated 5.3.1981, Para 313 (a) (iii) and Para 313 (b) of IREM 1989, 2009 Reprint Edition).

18.9 From 29.04.1999 the provisions in Para 17 and sub-paras 17.1 to 17.8 above will stand modified to the extent the same are inconsistent with the provisions of Chapter XIII of IREM, Vol.I, 1989, 2009 Reprint Edition as revised by ACS No.77 issued under Board's letter No. E(NG)I-96/RE-3/9(2) dated 29.04.1999 inter-alia providing for absorption of medically de-categorized/unfitted/disabled Railway Servants in suitable alternative posts with same scale of pay.

XII. Seniority of staff who are originally medically de-categorised but subsequently declared fit.

19. Employees who properly appeal within the time limit laid down for appeal or whose appeal is entertained in a reasonable period within the time limit and get declared fit should not lose their seniority or their claims for consideration for promotion in the original category.

19.1 In regard to other employees, whether they are those who preferred delayed appeals and are declared fit or such as those who took treatment and consequently declared fit, while they should be permitted to be reposted to their original category, their seniority, if they were formerly confirmed or deemed to be confirmed in their grades in which they were, would be affected to the extent of any employee who may have been confirmed or deemed to be have been confirmed before their re-absorption into the original category. If, however, they are only officiating in the original category, their seniority, on restoration, should be below the staff confirmed till then but need not be affected vis-à-vis their original juniors who happen to be still officiating.

[E(NG)55/SR 6/15 dated 30.6.1959, 25.8.1959 and E(NG)64 SR 6/31 dated 18.3.1964]

19.2 Railway servants, whose services were terminated either because of the maximum limit of all leave including extraordinary leave having been exceeded or the medical authorities could not recommend the grant of extraordinary leave in the case of tuberculosis, pleurisy and leprosy patients and are re-employed in Railway service after being declared fit to work by the medical authority, should take their seniority below all permanent railway servants on the date of their re-employment provided they were permanent before medical unfitness or would have been confirmed in the meantime. Railway servants who were officiating or temporary at the time of medical

unfitness or would not have been confirmed in the meantime should be placed below the officiating or temporary employees as the case may be on the date of their re-employment.

(Authority: Para 313(c) of IREM Volume-I)

XIII. Seniority of staff on promotion – Selection & Non-Selection posts.

20. In case of selection posts, the names of the candidates should be arranged in the order of seniority, but those securing a total of 80% or more marks will be classed as outstanding and placed in the panel appropriately in order of their seniority allowing them to supersede not more than 50% of the total field of eligibility.

20.1 (a) Promotion to non-selection posts shall be on the basis of seniority-cum-suitability, suitability being judged by the authority competent to fill the post, by oral and/or written test or a departmental examination or a trade test or by scrutiny of record of service as considered necessary. The only exception to this would be in cases where for administrative convenience, which should be recorded in writing, the competent authority considers it necessary to appoint a railway servant other than the senior-most suitable railway servant to officiate purely in ad hoc capacity in a short term vacancy not exceeding two months as a rule and four months in any case. This will, however, not give the junior railway servant any advantage not otherwise due to him and will not confer on him any right to continue in that post in preference to his seniors who are found suitable. A railway servant, once promoted in his turn, after being found suitable against a vacancy which is non-fortuitous, should be considered as senior in that grade to all others who are subsequently promoted after being found suitable. The suitability of a Railway servant for promotion should be judged on the date of the vacancy in the higher grade or as close to it as possible.

(b) An employee who qualifies in an earlier test and gets promoted in a non-fortuitous vacancy but reverts to the lower grade before a subsequent test is held, will rank senior to all others who qualify in the subsequent test. Those who have either officiated in fortuitous vacancies or did not officiate at all, will not be given any protection for seniority on subsequent promotion.

20.2 An employee who could not appear for selection/suitability test on account of reasons beyond his/her control, such as, sickness, non-receipt of information in time, etc., he/she should be given a supplementary selection/test within a reasonable period and being found suitable he/she should be assigned proforma seniority position vis-à-vis his/her juniors promoted earlier.

20.3 In case an employee lower in the panel has officiated whereas one higher has not officiated for reasons beyond his/her control, such as sickness, non-release by the Administration in time etc. the later employee will not lose his/her seniority. However, if the senior employee had not officiated for his own reason, then he/she will not be entitled for protection of his/her seniority.

20.4 An employee who could not be considered for selection/suitability test on account of his/her being away on deputation abroad, on return if it is found that a junior to him/her has been promoted on the basis of a selection/suitability test in which he/she was not called for, he/she may be considered in the next selection/suitability test and if selected, his/her seniority may be adjusted vis-à-vis his/her juniors in the previous panel.

20.4.1 In the case of a selection post, if an employee as referred to above, is classified as 'outstanding' he/she should be interpolated in the previous panel in accordance with the seniority and gradation in the subsequent selection.

20.5(a) SC/ST Railway Servants shall, on their promotion by virtue of rule of reservation/roster, be entitled to consequential seniority also; and

(b) This shall be effective from 17th June, 1995.

(Railway Board's letter No.E(NG)I-97/SR 6/3 (Vol.III) dated 08.03.2002)

20.6 Effect of refusal of promotion: -

(a) Selection Posts: The employee refusing promotion expressly or otherwise is debarred for further promotion for one year but he is allowed to be retained at the same station on the same post for one year. If the employee again refuses the promotion, his name will be deleted from the panel. He will have to appear again in the selection notwithstanding the fact that he in the mean time has officiated non-fortuitously against short term vacancy based on his panel position. Seniority will be assigned as from the date of effect of promotion and he will be junior to all the persons promoted earlier to him from the same panel irrespective of his panel position. He will, however, not lose seniority to another employee promoted to the same promotion category during the one year of penalty as a result of fresh selection subsequently held.

(b) Non-selection post: Such an employee should be debarred for promotion for one year but not transferred away from the station for one year if unavoidable domestic reasons exist. He should be further debarred for promotion for one year if he refuses promotion again. On refusal of promotion for the second attempt, the administration can, transfer him to out station in the same grade and the employee has to appear for a suitability test when his turn for promotion comes. He will rank junior to all the employees promoted during the period he was allowed to refuse promotion irrespective of his relative seniority. He will not, however, lose seniority to another employee promoted to the same category during one year period of penalty as a result of fresh suitability test subsequently held.

20.7 Administration can entertain request from employees for postponement of promotion for very short periods on account of great domestic difficulties or other humanitarian considerations. The employee concerned will be promoted after the period provided there is a vacancy and he will take his seniority from the date of promotion.

20.8 In the case of Section Officer (Accounts), Inspector of Station/Stores Accounts who refuse promotion:-

(i) The concerned staff should be debarred for promotion for one year on each occasion they refuse promotion for one year on each occasion they refuse promotion.

(ii) They should be considered for promotion only against the vacancy becoming available after expiry of one year.

(iii) They will get seniority only from the date of promotion. In other words, they will be placed junior to all those promoted during the period of debarment from the same panel as also from the subsequent panel(s).

(Railway Board's letter No.E(NG)I-91/PM 9/7 dated 13.02.1992)

[E.54/PM 1/19/3 dated 4.4.1955, E(NG)62/PM 1/91 dated 9.8.1965, E(NG)I/72/PM1/211 dated 14.12.1972, E(NG)I/70/PM1/168 dated 3.9.1976, E(NG)I/78/PM1/142 dated 25.7.1979, 27/30.10.1979, E(NG)I/77/PM1/269 dated 3.5.1980 and E(NG)I/80/PM1/188 dated 31.12.1980]

20.9 Penalty for refusal of promotion applies to cases of seeking of reversion in the grade after being once promoted.

(Authority: Note 4 below Para 224 of IREM, Vol.I)

XIV. Erroneous Promotions:

21. Sometimes due to Administrative error, staff are over-looked for promotion to higher grades. This could be either on account of wrong assignment of relative seniority of the eligible staff or full facts not being placed before the Selection Board. Broadly, there can be two types: -

- (a) Where a person has not been promoted at all because of administrative error; and
- (b) Where a person has been promoted but not on the date from which he would have been promoted but for the administrative error.

21.1 Each such case should be dealt with on merits. Staff, who have not been promoted on administrative error, should on promotion, be assigned correct seniority vis-à-vis their juniors already working, irrespective of the date of promotion.

21.2 The orders of notification, promotion or appointment of a Railway employee in a substantive or officiating capacity to a post is later found to be erroneous on the basis of facts, should be cancelled and the Railway servant should immediately be brought to the position which he would have held but for the incorrect order of promotion on appointment, following the procedure stipulated for the same.

21.3 Service rendered by the Railway servant concerned in the post to which he was promoted wrongly should not be reckoned for purpose of increment or for any other purpose in that grade.

21.4 Any consequential promotions/appointments made as a result of the erroneous promotion will also be required to be regulated on the lines indicated above.

[E(NG)63/PM 1/43 dated 6.9.1963 and E(NG)63/PM 1/92 dated 15/17.9.1964]

XV. Seniority of staff rendered surplus.

22. Assignment of seniority to redeployed surplus staff:

The surplus employees are not entitled for benefit of the past service rendered in the previous unit/department for the purpose of their seniority in the new unit/department. Such employees are to be treated as fresh entrants in the matter of their seniority, promotions etc.

When two or more surplus employees of a particular grade in a unit/department are selected on different dates for absorption in a grade in another unit/department, their inter-se-seniority in the latter unit/department will be same as in their previous unit/department provided that;

- (i) No direct recruit has been selected for appointment to that grade in between these dates; and
- (ii) No promotee has been approved for appointment to that grade between these dates.

When two or more surplus employees of a particular grade in a unit/department are simultaneously selected for deployment in another unit/department in a grade, their inter-se-seniority in the particular grade, on redeployment in the latter unit/department, would be the same as in their previous unit/department.

(Authority: Ministry of Railway's letter No.E(NG)I/2000/SR 6/28 dated 25.05.2004 ACS No.159)

23. Effect of reduction in pay or grade as measure of penalty on seniority:

(i) Reduction to a lower stage in the time-scale. Reduction in pay, as distinct from reduction from a higher grade or class to a lower grade or class, does not affect a railway servants' position on the seniority list. The authority ordering reduction should invariably state the period for which it shall be effective and whether, on restoration, the period of reduction shall operate to postpone his future increments and, if so, to what extent.

(ii) Reduction to a lower service, grade or post, or to a lower time-scale.

(a) Where the order imposing penalty for reduction doesn't specify the period of reduction and there is coupled with it an order declaring the railway servant

permanently unfit for promotion, the question of re-promotion or determination of seniority will obviously not arise.

- (b) Where the period of reduction is not specified in the order imposing the penalty of reduction, the railway servant should be deemed to be reduced for an indefinite period, i.e. till such date as, on the basis of his performance subsequent to the order of reduction, he may be considered fit for promotion. On re-promotion, the seniority of such a railway servant should be determined by the date of re-promotion. In all such cases, the person loses his original seniority in the higher service, grade or post in entirety. On re-promotion, the seniority of such a railway servant should be determined by the date of re-promotion without regard to the service rendered by him in such service, grade or post prior to his reduction.
- (c) In cases where the penalty of reduction in a lower service, grade or lower time scale is for a specified period, the employee concerned should be re-promoted automatically to the post from which he was reduced. The seniority in the original service, grade or post or time scale should be fixed in such cases in accordance with the provision contained in Rule 6(vi) of Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 as clarified vide Railway Board's letter No.E(D&A)/73/RG 6-5 dated 22.02.1974 and E(D&A)2001/RG 6-58 dated 28.11.2002.

(Authority: Railway Board's letter No.E(D&A)/2007/RG 6-24 dated 10.08.2007 – ACS No.195)

- (d) When a railway servant is reduced from a higher grade, or class to a lower grade, whether for a specified period or indefinitely, his seniority in the lower grade shall be fixed with reference in his position which he would have been entitled to but for his promotion to the higher grade or class from which he is reduced. (Para 322 of IREM 1989, 2009 Reprint Edition).

24. Staff Directly Recruited on the Locomotive Component Works

All persons who were directly recruited in the Locomotive Component Works shall be deemed to have been transferred to the Diesel Locomotive Works on 1-8-1961, the date on which the Diesel Locomotive Works was set up. The grade held by them as on 1-8-1961 and the length of non-fortuitous service in that grade shall be the basis for fixing their relative seniority' in the Diesel Locomotive Works on that date.

(Authority: Para 323 of IREM, Volume-I)

25. Staff Directly Recruited in the Diesel Locomotive Works

Trainees and Apprentices who were undergoing their training/apprenticeship on the date of formation of the Diesel Locomotive Works shall be deemed to have been taken as such and shall be assigned seniority on completion of their training and absorption in a

working post based on the merit list drawn at the time of completion of the training/apprenticeship.

(Authority: Para 324 of IREM, Volume-I)

Persons other than Trainees and Apprentices who have been directly recruited in the Diesel Locomotive Works from a panel of an earlier date shall be senior to those recruited from a panel of a later date, and in the case of recruitment from panel, seniority shall be determined on the basis of the position of the persons in the panel arranged in order of merit. In the case of Trainees and Apprentices, seniority shall be determined on the basis of the Merit list drawn up at the time of completion of training.

26. Staff Transferred from Railways or Production Units

(1) Persons who have been transferred to the Locomotive Component Works shall be deemed to have been transferred to the Diesel Locomotive Works on 1-8-1961 in the grade which would have been held by them in their parent Railway but for such transfer, the length of non-fortuitous service, held by them on that date in grade shall determine their relative seniority.

(2) Persons, who have been transferred to the Diesel Locomotive Works from a Railway Production Unit on or after 1.8.1961 but up to 1.4.1965 in the case of ministerial staff and up to 1-1-1969 in the case of technical & non-ministerial staff shall be deemed to have been transferred in the grade held by them on their parent Railway/Production Unit on the date of transfer and will be assigned seniority in the Diesel Locomotive Works on the basis of length of non-fortuitous service rendered by them in that grade.

(Authority: Para 326 of IREM, Volume-I)

27. Staff Transferred from Construction/Project

(1) Persons who have been transferred from a Construction/Project to the Locomotive Component Works/Diesel Locomotive Works and who have a lien on a post on the Railway/Production Unit shall be assigned relative seniority on the basis of the position held by them in their parent Railway/Production Unit on the date of transfer in the same manner as indicated in Para 25 above.

(2) Persons who have been transferred from a Construction/Project to the Locomotive Component Works/Diesel Locomotive Works and who do not hold any lien on any Railway/Production Unit shall be deemed to have been transferred in the lowest grade in a category in which direct recruitment is permissible under the rules, on the date of joining the Locomotive Component Works/Diesel Locomotive Works. They shall thereafter be dealt with in the same manner as persons directly recruited on the Locomotive Component Works/Diesel Locomotive Works, vide Para 23 and 24 above.

28. Permission to railway servants to pursue seniority list:

(a) Railway servants may be permitted to see the seniority lists in which their names are placed, or if this cannot conveniently be arranged, they may be informed, on request, of their place on the seniority list.

(b) Staff concerned may be allowed to represent about the assignment of their seniority position within a period of one year after the publishing of the seniority list. No cases for revision in seniority lists should be entertained beyond this period. (Para 321 IREM 1989, 2009 Reprint Edition).


XVI. General:

(a) **While referring to this Circular, the original letters referred to herein should be read for a proper appreciation. This Circular is only a consolidation of the instructions issued so far and should not be treated as a substitution to the originals. In case of doubt, the original circular should be relied upon as authority.**

(b) The instructions contained in the original circulars referred to have only prospective effect from the date of issue unless specifically indicated otherwise in the concerned circular. For dealing with old cases, the instructions in force at the relevant time should be referred to; and

(c) If any circular on the subject, which has not been superseded, has not been taken into consideration while preparing this consolidated letter, the said circular, which has been missed through over-sight should be treated as valid and operative. Such a missing circular, if any, may be brought to the notice of the Railway Board.

Kindly acknowledge receipt.



(D. Joseph)

**Joint Director Establishment (N)
Railway Board**

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.ई(एनजी)-1/2019/एसआर 6/6

नई दिल्ली, दिनांक: 26.08.2019

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: अराजपत्रित कर्मचारियों की वरिष्ठता - मास्टर परिपत्र (अद्यतन अगस्त 2019)

इस समय "अराजपत्रित कर्मचारियों की वरिष्ठता" विषय से संबंधित आदेश भारतीय रेल स्थापना नियमावली - 2009 पुनर्मुद्रित के अध्याय-3 और रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए पत्रों/परिपत्रों में अंतर्विष्ट हैं। भारतीय रेल स्थापना नियमावली के प्रावधानों और सितम्बर, 1991 तक इस विषय पर जारी किए गए अनुदेशों पर आधारित मास्टर परिपत्र सं.34 को अब तक जारी किए गए संगत प्रावधानों को शामिल करते हुए अद्यतन किया गया है और सभी संबंधितों की सूचना और मार्गदर्शन के लिए अद्यतन मास्टर परिपत्र सं.34 नीचे दिया गया है।

1. वरिष्ठता के सामान्य सिद्धांत:

2. जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, किसी ग्रेड में पद के पदधारियों के बीच वरिष्ठता उस ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से शासित होगी। आरंभिक वेतन से अधिक वेतन एक नियम के रूप में एक रेल कर्मचारी को उन कर्मचारियों के ऊपर वरिष्ठता प्रदान नहीं करता जो पहले ही नियमित पदों पर नियुक्त हैं।

2.1 उन पदों, जो आंशिक रूप से पदोन्नति द्वारा तथा आंशिक रूप से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, में अराजपत्रित कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठता के निर्धारण का मापदण्ड पदोन्नत कर्मचारी के मामले में उचित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् नियमित पदोन्नति की तारीख तथा सीधी भर्ती हुए कर्मचारी के मामले में उचित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् कार्यवाही पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख होनी चाहिए बशर्ते कि पदोन्नति प्राप्त तथा सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों के बीच उनकी पारस्परिक वरिष्ठता बनाए रखी जाए। जब पदोन्नत रेल कर्मचारियों तथा सीधे भर्ती वाले कर्मचारियों को किसी एक ग्रेड में प्रवेश की तारीख एक हो तो प्रत्येक समूह की पारस्परिक वरिष्ठता बनाए रखने के लिए, पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों के सीधे भर्ती वाले कर्मचारियों से वरिष्ठ होने के कारण उन्हें हर तीसरे स्थान में रखा जाना चाहिए।

2.2 पैरा 2.1, 3, 4, 5 और 6 में जो कहा गया है उसके अध्याधीन जब एक ग्रेड में नियुक्ति की तारीख एक जैसी हों तो उससे निचले ग्रेड में प्रवेश की तारीख से वरिष्ठता का निर्धारण होगा। यदि वे तारीखें भी समान हों, तब पदोन्नति की सारिणी में सबसे निचले ग्रेड के क्रम में प्रत्येक निम्न ग्रेड में प्रवेश की तारीख से वरिष्ठता का निर्धारण होगा। यदि ये तारीखें भी एक जैसी हों तो संबद्ध जन्म-तिथि से वरिष्ठता का निर्धारण होगा और ऐसी स्थिति में अधिक आयु वाला व्यक्ति वरिष्ठ होगा।

2.3 एक रेल कर्मचारी, जो एक बार गैर-आकस्मिक रिक्ति पर पदोन्नत कर दिया गया हो, को जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, सामान्यतः उस ग्रेड में अन्य उन सभी कर्मचारियों से वरिष्ठ समझा जाना चाहिए, जिन्हें बाद में पदोन्नत किया जाता है।

2.4 यदि गाड़ी पार कराने/गाड़ी परिचालन की इयूटियों में नियुक्त कर्मचारी दूसरे प्रयास में भी आवधिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन्हें ऐसी वैकल्पिक कोटियों में समाहित किया जाना है, जिनमें गाड़ी पार कराने और गाड़ी परिचालन की इयूटियां अंतर्गस्त न हों, तथापि, उन्हें कम-से-कम छह महीने की अवधि के अंतराल पर आगे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुमति है तथा यदि वे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लेते हैं तो प्रथम रिक्ति होने पर वे मूल कोटि में पुनः समाहित कर लिए जाते हैं। ऐसे मामले में, कर्मचारी की वरिष्ठता वैकल्पिक कोटि में उसके समाहन तथा मूल कोटि में उसके संभावित पुनः समाहन के बीच की अवधि के दौरान पदोन्नत व्यक्तियों की संख्या के बराबर उसकी मूल स्थिति से नीचे हो जाएगी। उदाहरणार्थ, यदि एक कर्मचारी मूल रूप से 15 वें स्थान पर है तथा वैकल्पिक कोटि में उसकी अनुपस्थिति के दौरान, 3 व्यक्ति पदोन्नत कर दिए गए हैं तो मूल कोटि में पुनः समाहित किए जाने पर वरिष्ठता सूची में उसका रैंक 18वां होगा।

2.5 सीधी भर्ती के लिए निर्धारित कोटा केवल भर्ती के स्तर पर प्रासंगिक होगा तथा वरिष्ठता के निर्धारण के लिए उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होगी जो सामान्य नियम लागू करके निर्धारित की जाएगी। जहाँ एक वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित कोटा उम्मीदवारों को अनुपलब्धता के कारण नहीं भरा जाता है वहाँ अगले वर्ष में यह कमी पूरी की जा सकती है और वरिष्ठता के प्रयोजन से इसके लिए पूर्वव्यापी लाभ नहीं दिया जाएगा।

2.6 यदि सेवा की तात्कालिक आवश्यकता के कारण सीधी भर्ती किए गए कर्मचारी की प्रशिक्षण अवधि कम कर दी जाती है, तो वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए सीधे भर्ती किए गए ऐसे कर्मचारी के मामले में कार्यकारी पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख वह तारीख होगी, जिस तारीख को प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूरी करने के पश्चात् वह कार्यकारी पद पर सामान्यतः आता है।

2.7 उपर्युक्त उप-पैरा 2.6 में अंतर्विष्ट प्रावधान अंतर-प्रशिक्षु और सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा (जैसे यातायात एवं वाणिज्यिक प्रशिक्षुओं के मामले में 10%) द्वारा भरी गई कतिपय कोटियों में निर्धारित कोटे के तहत विभागीय चयनित उम्मीदवारों पर भी लागू होंगे।

(बोर्ड के दिनांक 23.08.1991 के पत्र सं. ई(एनजी)/89/एसआर 6/35 के तहत जारी एसीएस सं. 2)

[ई56सीओ/813, 21.11.53, ई53/एसआर 6/21/3 दिनांक 8.3.54, 2.8.54, 12.8.54, 13.8.54, 24.9.54, ई(एनजी)60/एसआर 6/2 दिनांक 15.9.60, ई(एनजी)53/एसआर 6/7 दिनांक 6.2.61, ई(एनजी)60/एसआर/6/2 दिनांक 16.11.61, ई(एनजी) 62/एसआर 6/35 दिनांक 12.3.63, ई(एनजी)67/एसआर 6/35 दिनांक 24.11.67, ई(एनजी)/80/एसआर 6/4 दिनांक 4.2.81, ई(एनजी)/78/एसआर 6/42 दिनांक 7.4.82 तथा भारतीय रेल स्थापना नियमावली, 1989, 2009 पुनःमुद्रित संस्करण का पैरा 302 एवं 314]

3. रेल भर्ती बोर्ड (जिन्हें पहले रेल सेवा आयोग कहा जाता था) अथवा किसी अन्य भर्ती एजेंसी के माध्यम से भर्ती किए गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना चाहिए:-

(क) प्रशिक्षण स्कूलों में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले उम्मीदवारों की संगत ग्रेड में वरिष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जाएगी जो वे कार्यकारी पद पर तैनात किए जाने से पहले प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्राप्त करेंगे, बाद के पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले और अनुवर्ती अवसरों में परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार रैंक में उन उम्मीदवारों से कनिष्ठ होंगे। जिन्होंने परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन यदि रेल भर्ती बोर्ड के एक ही पैनल वाले व्यक्तियों को प्रशासनिक कारणों की वजह से, न कि उम्मीदवारों की सुविधानुसार, बैंचों में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता बैच-वार विनियमित की जाएगी। बशर्ते कि रेल भर्ती बोर्ड के पैनल में उच्च रैंक वाले व्यक्तियों को जिन्हें प्रशासनिक कारणों की वजह से उपर्युक्त बैच में (वरिष्ठता के अनुसार) प्रशिक्षण के लिए न भेजा गया हो, उन उम्मीदवारों के साथ शामिल कर लिया जाए जिन्होंने पारस्परिक वरिष्ठता विनियमित किए जाने के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त बैच में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति पहले ही प्रयास में प्रशिक्षण की समाप्ति पर परीक्षा उत्तीर्ण कर लें।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 14.03.1993 का पत्र सं. ई(एनजी)/89/एसआर 6/32, एसीएस सं. 9)

(ख) ऐसे उम्मीदवार, जिन्हें किसी आरंभिक प्रशिक्षण पर जाने की आवश्यकता नहीं है, उनकी वरिष्ठता रेलवे भर्ती बोर्ड (पहले रेल सेवा आयोग कहा जाता था) अथवा अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा उन्हें आबंटित मेरिट आदेश के आधार पर निर्धारित की जाएगी। [दिनांक 25.4.1957 का ई(एनजी)57/एसआर 6/2 और भारतीय रेल स्थापना नियमावली - 1989, 2009 पुनर्मुद्रित संस्करण का पैरा 303]

3.1 ऐसे मामलों में, जिनमें सीधे भर्ती किए गए खिलाड़ियों को कार्य पदों पर नियुक्त किए जाने से पूर्व प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षण पर जाना अपेक्षित होता है, में भारतीय रेल स्थापना नियमावली, 2009 पुनर्मुद्रित संस्करण के पैरा 303 में अंतर्विष्ट वरिष्ठता के सामान्य नियम लागू होंगे।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 08.12.1994 का पत्र सं. ई(एनजी)/94/एसआर 6/6)

4. जब एक ही परीक्षा/प्रवरण में दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान योग्यता क्रम में घोषित किए जाएं उनकी आपसी वरिष्ठता जन्मतिथि द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, अधिक आयु वाला उम्मीदवार वरिष्ठ होगा। [ई 56 (नियमावली/111), भारतीय रेल स्थापना नियमावली -1989, 2009 पुनर्मुद्रित का पैरा 304]

5. बहरहाल, यदि कोई उम्मीदवार, जिसकी वरिष्ठता उपर्युक्त पैरा 3 और 4 के अधीन निश्चित की जानी है, नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के बाद उचित अवधि में कार्यभार न संभाल पाए, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे उन सब चयनित उम्मीदवारों से नीचे रखकर उनकी वरिष्ठता निश्चित कर सकते हैं, जो उसी परीक्षा/चयन में चुने गये हों और जिन्होंने कार्यभार संभालने के लिए दी गई अवधि के अंदर कार्यभार संभाल लिया हो या उसे उन सब उम्मीदवारों से भी नीचे रखा जा सकता है जो बाद की परीक्षा/चयन में चुने जाएं और उससे पहले कार्यभार संभाल लें। (भारतीय रेल स्थापना नियमावली -1989, 2009 के पुनः मुद्रित संस्करण का पैरा 305)

6. उपर्युक्त पैरा 5 के अधीन आने वाले मामलों को छोड़कर, पहले चयन में नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवार, बाद के चयन में चुने जाने वाले उम्मीदवारों से वरिष्ठ होंगे चाहे उनकी तैनाती की तारीख कोई भी हो। (भारतीय रेल स्थापना नियमावली -1989, 2009 के पुनः मुद्रित संस्करण का पैरा 306)

7. परिवीक्षा अवधि

परिवीक्षा अवधि जब विनिर्दिष्ट अविच्छिन्न परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो, के बाद पुष्टि होती हो तब ग्रेड में नियुक्ति की तारीख इस परिवीक्षा अवधि के प्रारंभ होने की तारीख से गिनी जाएगी। (भारतीय रेल स्थापना नियमावली -1989, 2009 के पुनः मुद्रित संस्करण का पैरा 307)

7.1 जब परिवीक्षा अवधि के बाद परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाए और इस बढ़ाई गई अवधि के बाद विच्छिन्न रूप से पुष्टि होती है तो ग्रेड या पद में नियुक्ति की तारीख, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, परिवीक्षा अवधि प्रारंभ होने के बाद की तारीख से गिनी जाए। यह तारीख परिवीक्षा अवधि प्रारंभ होने की तारीख से उतनी ही आगे होगी जितनी अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई हो। उन मामलों में, जहां परिवीक्षा अवधि बढ़ाई न जाए और परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर कर्मचारियों को पुष्टि कर दी जाए, वहां ग्रेड या पद पर नियुक्ति की तारीख वह होगी जिस तारीख को कर्मचारी को प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण विद्यालय में भेजा गया हो या जिस तारीख को उसने कार्य पद पर कार्यभार संभाला हो, इनमें जो भी पहले हो।

8. विभागीय परीक्षा/व्यावसायिक परीक्षा

जहां किसी विशिष्ट अचयन पद पर पदोन्नति से पहले विभागीय या व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करना शर्त के रूप में विहित किया गया हो, वहां अपनी देय पारी में और एक ही तारीख को या विभिन्न तारीखों को जिन्हें एक लगातार परीक्षा माना जाए, जैसी भी स्थिति हो, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले रेल कर्मचारियों की वरिष्ठता उनकी अधिष्ठायी या मूल वरिष्ठता के संदर्भ में निश्चित की जाएगी। (भारतीय रेल स्थापना नियमावली -1989, 2009 के पुनः मुद्रित संस्करण का पैरा 315)

8.1 यदि कोई रेल कर्मचारी, ऐसे कारणों से जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, अन्य कर्मचारियों के साथ अपनी पारी में परीक्षा/परीक्षण में बैठने में असमर्थ हों, तो जैसे ही वह प्राप्य हो, उसे तत्काल परीक्षा/परीक्षण में बैठना होगा और यदि वह उसमें उत्तीर्ण हो जाए, तो वह पद पर पदोन्नति का उसी रूप में हकदार होगा जैसे उसने परीक्षा/परीक्षण अपनी पारी में ही उत्तीर्ण की हो।

टिप्पणी:-

- क) ऊपर निर्दिष्ट अभिव्यक्ति उसके नियंत्रण से बाहर की व्याख्या में निम्नलिखित शामिल हैं:-
- रेल कर्मचारी की बीमारी, जिसके समर्थन में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक का चिकित्सा प्रमाण पत्र हो,
 - रेल कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य की इतनी गंभीर बीमारी कि रेल कर्मचारी से परीक्षा में बैठने की वास्तव में आशा न की जा सके। बीमारी के समर्थन में, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
 - छुट्टी पर होने के कारण या मुख्यालय से अन्यत्र ड्यूटी पर होने के कारण या किसी और कारण से जो प्रशासन की स्वीकार्य हो, परीक्षा/परीक्षण की सूचना न मिलने का सिद्ध प्रमाण हो, और
 - ऐसी परीक्षा अथवा परीक्षण के लिए प्रशासन रेल कर्मचारी को कार्यमुक्त न करता हो।
- ख. यह परिशिष्ट 2 व 3 भारतीय रेल स्थापना नियमावली में विहित विभागीय परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा। (भारतीय रेल स्थापना नियमावली -1989, 2009 के पुनः मुद्रित संस्करण का पैरा 316)
[भारतीय रेल स्थापना नियमावली -1989, 2009 के पुनः मुद्रित संस्करण का पैरा 306, 307, 308, 315 और 316]

II. स्वयं स्थानांतरण मांगने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता:

9. ऐसे मामलों में, जहां रेल कर्मचारी को एक रेलवे से दूसरे रेलवे में उसके स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित रेल कर्मचारी को नई स्थापना में पदोन्नति ग्रुप में संबद्ध ग्रेड में मौजूदा स्थायी तथा स्थानापन्न और अस्थायी रेल कर्मचारियों से नीचे रखा जाना चाहिए चाहे उसको स्थायी होने की तारीख कोई भी हो तथा स्थानापन्न अथवा अस्थाई सेवा की अवधि कितनी भी हो।

9.1 उपरोक्त सिद्धांत उसी रेलवे पर एक संवर्ग/मंडल से दूसरे संवर्ग/मंडल में अनुरोध पर स्थानांतरण के मामले पर भी समान रूप से लागू होता है।

9.2 उपरोक्त सिद्धांत उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है, जिन्हें पारस्परिक अदला-बदली के आधार पर उसी रेलवे पर एक वरिष्ठता इकाई से दूसरे पर स्थानांतरित किया जाता है।

9.3 उपरोक्त पैरा 9 में उल्लिखित पद "सुसंगत ग्रेड" उन ग्रेडों पर लागू होता है, जहां सीधी भर्ती भी की जाती है। ऐसे ग्रेडों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण के अनुरोध को इस शर्त पर स्वीकार किया जा सकता है कि वे पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखते हों। मध्यवर्ती ग्रेडों में जिनमें सभी पद निचले ग्रेड के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा ही भरे जाते हैं और सीधी भर्ती नहीं की जाती है, इस प्रकार के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(प्राधिकार: रेल मंत्रालय का दि. 08.02.2000 का पत्र सं. ई(एनजी)/99/टीआर/15 अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.95)

9.4 मध्यवर्ती ग्रेडों में ऐसा कोई स्थानांतरण अनुमेय नहीं है जहां सभी पद पूर्णतः निम्न ग्रेडों से कर्मचारियों को पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और जहां सीधी भर्ती का तत्व नहीं है।

[ई(54)/एसआर 6/24/3 दिनांक 16.11.1954, ई.53/एसआर 6/21/3 दिनांक 17.11.1954, 8.12.1954, ई.55/एसआर 6/6/3 दिनांक 19.5.1955, ई.55/एसआर 6/16/3 दिनांक 27.2.1956, ई.53/एसआर 6/21/3 दिनांक 22.8.1955, ई(एनजी)55/एसआर 6/56 दिनांक 17.10.1956, ई(एनजी)65 एसआर 6-31 दिनांक 30.9.1965, 8.12.1966, 1.4.1966, 1.12.1966, ई(एनजी)/69/एसआर 6/15 दिनांक 24.6.1969 और ई(एनजी)/85/एसआर 6/14 दिनांक 21.1.1986]

III. पारस्परिक अदला-बदली पर स्थानांतरण:

10. जिन रेल कर्मचारियों की परस्पर अदला-बदली आधार पर किसी मंडल कार्यालय या रेलवे के एक संवर्ग से दूसरे मंडल कार्यालय या रेलवे के तदनु रूप संवर्ग में स्थानान्तरण हो, उन कर्मचारियों की वरिष्ठता ग्रेड में पदोन्नति की तारीख के आधार पर बनी रहेगी या वे उन रेल कर्मचारियों की वरिष्ठता का स्थान ले लेंगे, जिनके साथ उनका स्थानान्तरण हुआ है, दोनों में से जो भी नीचे हो।

10.1 दो विभिन्न ग्रेडों में कर्मचारियों के बीच परस्पर अदला-बदली स्थानांतरण की अनुमति भी दी जा सकती है परंतु यह अनुमति संवर्ग के मध्यवर्ती ग्रेड में नहीं बल्कि केवल भर्ती ग्रेड में ही है। परस्पर अदला-बदली स्थानांतरण की अनुमति की मांग करने वाले दोनों कर्मचारियों को लिखित में वचनबद्धता देनी होगी कि उन्हें भर्ती ग्रेड में अपने हित में बिना शर्त वापस आने और नई यूनिट में अपनी निम्नतम वरीयता की स्वीकृति देनी होगी।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दि. 26.10.2018 का पत्र सं. ई(एनजी)/2018/टीआर/8)

IV. अर्हता प्राप्त तथा गैर-अर्हता प्राप्त लेखा लिपिकों की पारस्परिक अदला-बदली पर स्थानांतरण:

11. गैर-अर्हता प्राप्त लेखा लिपिक अपने पुराने कार्यालय में धारित वरिष्ठता बनाए रखेगा अथवा अर्हता प्राप्त लिपिक की वरिष्ठता लेगा जिससे उसने परस्पर अदला-बदली की है, जो भी नीचे हो।

11.1 अर्हता प्राप्त लिपिक नीचे दर्शाई गई दो वरिष्ठताओं से नीचे रहेंगे:-

(क) पुराने कार्यालय में धारित उनकी वरिष्ठता अथवा गैर अर्हता प्राप्त लिपिक की वरिष्ठता, जिससे उसने नये कार्यालय में बदली की है, जो भी नीचे हो, अथवा

(ख) उसे नई इकाई में सभी अर्हता प्राप्त लिपिक ग्रेड II (स्थाई व अस्थाई दोनों) से नीचे रखा जाएगा।

11.2 ऐसे कर्मचारियों की पारस्परिक अदला-बदली से यथासंभव बचना चाहिए जो पदोन्नति के लिए पात्रता के मामले में बराबर नहीं है।

[दिनांक 27.9.1963 का पत्र सं. ई(एनजी)63/एसआर 6/17]

V. प्रशासनिक हित में स्थानांतरण:

12. जहां कर्मचारियों को प्रशासनिक हित में एक वरिष्ठता इकाई से दूसरी में स्थानांतरित किया जाता है, वहां नई इकाई में उनकी वरिष्ठता स्थिति को बनाए रखा जाए। ऐसे स्थानांतरण तभी किए जाएं जब अति आवश्यक हों।

VI. अनुभाग अधिकारी (लेखा) या स्टेशन या भंडार लेखा निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता:

13. अनुभाग अधिकारी (लेखा) या स्टेशन या भंडार लेखा निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता उस तारीख के अनुसार गिनी जाएगी, जिस तारीख को उम्मीदवारों ने उन पदों पर पदोन्नति के लिए अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। किसी वर्ष-विशेष में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार बाद के वर्षों में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों से स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ होंगे चाहे परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले उनकी परस्पर वरिष्ठता कुछ भी रही हो। उपर्युक्त परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने पर, प्रत्येक रेलवे प्रशासन का उपर्युक्त चयन बोर्ड प्रत्येक ऐसे उम्मीदवार को उनकी सापेक्ष वरिष्ठता के आधार पर पैनल में तत्काल उचित स्थान प्रदान करेगा। किसी एक वर्ष में पैनल में रखे गए सभी कर्मचारी उन कर्मचारियों से वरिष्ठ होंगे जिन्हें बाद के वर्षों में पैनल में रखा जाएगा।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 14.12.2004 का पत्र सं. 2004/एसी-II/20/34 -एसीएस सं.170)

13.1 जैसे ही सीधी भर्ती वाले अनुभाग अधिकारी (लेखा)/लागत लेखापाल और स्टेशन, लेखा निरीक्षकों, यदि कोई हों, को निर्धारित प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कार्य पदों पर कार्यभार सौंपा जाये, उन्हें उन कोटियों की प्रोफार्मा पैनल में स्थान दिया जाए। उन्हें अनुभाग (लेखा) अधिकारी की इन कोटियों की इन कोटियों के ऐसे रिक्त स्थान पर, जो आकस्मिक न हो, स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे अंतिम व्यक्ति के नीचे स्थान देना हो वहां उनकी आपसी वरिष्ठता रेल भर्ती बोर्ड द्वारा उनको दिए गए स्थान के संदर्भ में निश्चित की जाए। लागत लेखापालों को छोड़कर जिनके लिए परिशिष्ट-3 (भा.रे.स्था.नि) परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है, उन्हें इस प्रकार दी हुई उनकी वरिष्ठता बनी

रहेगी बशर्ते वे निर्धारित अवधि के भीतर परिशिष्ट III (भा.रे.स्था.नि.) परीक्षा उत्तीर्ण कर लें। यदि कोई सीधी भर्ती वाला अनुभाग अधिकारी (लेखा) निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण न करें, तो उसे सेवामुक्त किया जा सकता है। लेकिन यदि उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक और अवसर दिया जाए, तो इस प्रश्न पर कि वह मूल वरिष्ठता रख सकता है या नहीं प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा। ऐसे मामले निर्णय के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेजे जाने चाहिए। (भा.रे.स्था.नि. जिल्द I-1989, 2009 पुनर्मुद्रित संस्करण का पैरा 317 (ख).)

XVII. लेखा विभाग में लेखा लिपिकों को कनिष्ठ लेखा सहायक के रूप में पदोन्नति होने पर वरिष्ठता:

14. कनिष्ठ लेखा सहायक को वरिष्ठता, पदोन्नत व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में और सीधी भर्ती वाले की नियुक्ति के संदर्भ में निश्चित की जाएगी। परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि के दौरान परिशिष्ट-2 (आईआरईएम) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सीधे भर्ती किए गए कनिष्ठ लेखा सहायकों की वरिष्ठता परिशिष्ट-2 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष के अनुसार निर्धारित की जाएगी। परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि के दौरान परिशिष्ट-2 (आईआरईएम) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सीधे भर्ती किए गए कनिष्ठ लेखा सहायक वरिष्ठता में अपने बैच के अन्य व्यक्तियों से पीछे होंगे परन्तु पदोन्नति पाने वालों से ऊपर होंगे।

[ई(एनजी)II/65/एसआर 6/26 दिनांक 23.8.1965, ई(एनजी)II/69/पीएम 1/20 दिनांक 25.7.1969, ई(एनजी)II/78/ पीएम 1/304 दिनांक 5.1.1979, पीसी-III/78/यूपीजी/8 दिनांक 16.05.1980 और भा.रे.स्था.नि. जिल्द I-1989, 2009 पुनर्मुद्रित संस्करण का पैरा 318, ई(एनजी)II/2000/एसआर 6/20 दिनांक 24.04.2001]

14.1 स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण पर लेखा कर्मचारियों की वरिष्ठता रेलवे बोर्ड के दिनांक 17.05.2005 के पत्र सं. 2004/एसी-II/20/34 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार विनियमित होगी।

14.2 आरआरबी के जरिए भर्ती किए गए कनिष्ठ लेखा सहायकों और लेखा क्लर्कों की वरिष्ठता भा.रे.स्था.नि. जिल्द I-1989 के पैरा 303 (ख) के अनुसार विनियमित होगी।

VIII. अनुकंपा के आधार पर, खेलकूद तथा सांस्कृतिक कोटा आदि में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को वरिष्ठता:

15. ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता का परिकलन सेवा में उनकी नियमित नियुक्ति को तारीख से किया जाएगा।

IX. अनियत मजदूर एवं प्रतिनिधि की वरिष्ठता

16.1 जब एवजियों और नैमित्तिक श्रमिकों की स्क्रीनिंग करके नियमित पदों पर समाहित किया जाता है तब उनकी वरिष्ठता का परिकलन नियमित समाहन की तारीख से किया जाएगा।

16.2 बहरहाल, स्क्रीनिंग के प्रयोजन के लिए उनकी वरिष्ठता उनके द्वारा नैमित्तिक श्रमिक के रूप में किए गए काम के कुछ दिनों के आधार पर आकलित की जाएगी।

(ई(एनजी)II/83/सीएल/एससी/9 दि.7.5.83, ई(एनजी)II/69/एसआर 6/25 दि.1.11.69 और ई(एनजी)II/80/एसआर 6/21 दि.5/8.7.80)

X. सर्वेक्षण/निर्माण परियोजनाओं तथा चालू लाइन में कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता

17. चालू लाइन तथा सर्वेक्षण और निर्माण परियोजनाओं के कर्मचारियों का संयुक्त संवर्ग होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चालू लाइन और निर्माण कर्मचारियों के बीच पदोन्नति की संभावनाओं में असमानता न रहे। तथापि सर्वेक्षण और निर्माण परियोजनाओं के कर्मचारियों को कार्य की तात्कालिकता के आधार पर चालू लाइन के कर्मचारियों से एक ग्रेड अधिक पदोन्नति देने में कोई आपत्ति नहीं है। यह लाभ ग्रुप बी के पदों में प्रवरण के लिए पात्रता सहित किसी भी प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं लिया जाएगा।

17.1 संवर्ग को मिलाने में सर्वेक्षण और निर्माण कर्मचारियों को वह वरिष्ठता दी जाएगी जो उन्हें चालू लाइन में प्राप्त हुई होती यदि वे सर्वेक्षण निर्माण परियोजनाओं में काम न करते रहते।

17.2 उपर्युक्त लाभ रेल भर्ती बोर्ड (पहले रेल सेवा आयोग) की एजेंसी के बिना सर्वेक्षण और निर्माण परियोजनाओं में स्थानीय तौर पर भर्ती किए गए व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा।

सर्वेक्षण और निर्माण परियोजनाओं की तरह स्थानीय तौर पर भर्ती किए गए कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता समाहित किए जाने वाले विभाग में रखी जाए चाहे उनकी वास्तविक समाहन की तारीख कोई भी हो बशर्ते कि:-

(क) समाहन के लिए निर्धारित स्क्रीनिंग के बाद उन्हें उपयुक्त पाया गया हो; और

(ख) ऐसा कोई विशिष्ट प्रवरण न हुआ हो जिसमें उनकी पहले की वरिष्ठता प्रभावित हुई हो।

17.3 तथापि ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी उनके स्वयं के अनुरोध पर सर्वेक्षण और निर्माण परियोजनाओं में काम करना जारी रखते हैं वहां यह लाभ स्वीकार्य नहीं है।

(ई(एनजी)/65/आरई/1/8 दि.15.4.65, ई(एनजी)/63/आरई/1/32 दि.20.12.65, ई(एनजी)/70/एसआर/6/43 दि.13.3.72 एवं 17.8.72 और ई(एनजी)/72/आरई/1/41 दि.27.11.73)

XI. चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत कर्मचारियों की वरिष्ठता:

18. चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत किए जाने के कारण वैकल्पिक पदों में चाहे उसी या दूसरे संवर्ग में आमेलित किए गए कर्मचारियों की वरिष्ठता समकक्ष या तदनुरूपी ग्रेड में की गई सेवा की अवधि के संदर्भ में दी जानी चाहिए। इसमें आमेलन के ग्रेड में नियत की गई वेतन दर पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। जो कर्मचारी चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत ठहराए जाने के समय आमेलन के ग्रेड से ऊंचे ग्रेड में हों, उनकी वरिष्ठता निश्चित करने में समकक्ष और ऊंचे ग्रेड में कुल सेवा हिसाब में की जानी चाहिए। यह इस परंतुक के अध्यक्षीन है कि यदि चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत ठहराया गया कर्मचारी उसी संवर्ग में आमेलित कर दिया जाए जिससे प्रारंभ में उसकी पदोन्नति हुई थी, तो उसे आमेलन के ग्रेड में तत्कालीन वरिष्ठ कर्मचारियों से ऊपर स्थान नहीं मिलेगा।

18.1 चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत ठहराए गए रनिंग कर्मचारियों को वैकल्पिक पदों में आमेलित करते समय, समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से सरकार द्वारा यथा विनिश्चित रनिंग भत्ते में वेतन तत्व के रूप में मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत समकक्ष पदों को पहचान के प्रयोजनार्थ वेतन के न्यूनतम तथा अधिकतम वेतनमान में दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात उनकी वरिष्ठता समकक्ष आमेलक पदों में निश्चित की जानी चाहिए।

18.2 उन कर्मचारियों के मामले में, जिनको आवधिक स्वास्थ्य परीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं है परन्तु जो अपने स्वेच्छा से स्वास्थ्य के आधार पर संवर्ग को बदलने का अनुरोध करते हैं और स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा संस्तुत किए जाते हैं उनका स्वयं के अनुरोध पर कोटि परिवर्तन स्थानान्तरण माना जाएगा और पैरा-9 के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी।

18.3 जो कर्मचारी सबसे निम्नतम वरिष्ठता स्वीकार करते हुए दूसरी इकाई पर स्थानान्तरण पर आते हैं बाद में डाक्टरी दृष्टि से विकोटिकृत घोषित कर दिए जाते हैं उन्हें विकोटीकरण के पश्चात वरिष्ठता के निर्धारण के लिए नई इकाई में की गई सेवा का लाभ मिलेगा।

18.4 कभी-कभी समकक्ष ग्रेड में रिक्तियां उपलब्ध न होने के कारण, डाक्टरी दृष्टि से विकोटीकृत कर्मचारी को निम्न ग्रेड में समाहन की पेशकश करनी होती है। कुछ मामलों में ऐसे कर्मचारी इस आशा से निम्न ग्रेड अस्वीकार कर देते हैं कि उच्चतर वेतनमान में रिक्ति होने वाली है। ऐसे कर्मचारी इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे इस अनुरोध के साथ निम्न वेतनमान में नियुक्ति स्वीकार करें कि यदि उसी संवर्ग में उस ग्रेड के समकक्ष की रिक्ति होती है जिस ग्रेड में वह विकोटिकरण से पहले था तो उसे डाक्टरी दृष्टि से विकोटिकृत कनिष्ठ कर्मचारी के अधिमान में इसके लिए पात्र समझा जाना चाहिए। हालांकि ऐसी स्थिति आने पर कर्मचारी से आवेदन-पत्र देने की आशा की जाती है, फिर भी प्रशासन के लिए स्वतः ही यह आवश्यक हो जाता है कि वह किसी संवर्ग में बाद में विकोटिकृत किसी कर्मचारी के समाहन पर विचार करते समय ऐसे मामलों को देखें जहां विगत तीन वर्षों में विकोटिकृत किए गए वरिष्ठ कर्मचारी निचले ग्रेडों में समाहित किए गए हों और इसकी समीक्षा करें। (11.4.75 से पहले निर्णित मामलों को दोबारा न खोला जाए जब तक कि बहुत आपवादिक परिस्थितियां न हों।)

18.5 उपर्युक्त पैरा 17.4 में उल्लिखित समीक्षा के परिणामस्वरूप पहले से ही समाहित और उच्चतर ग्रेड में कार्य कर रहे कनिष्ठ कर्मचारी को इस आधार पर न हटाया जाए कि वरिष्ठ कर्मचारी को रखा जाना है। वरिष्ठ कर्मचारी को ग्रेड में उत्पन्न हुई अगली रिक्ति पर पदोन्नत किया जाए और ग्रेड में सापेक्ष वरिष्ठता डाक्टरी दृष्टि से विकोटिकरण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्धारित की जाए।

18.6 जब कोई कनिष्ठ कर्मचारी समकक्ष ग्रेड में पहले से ही समाहित कर लिया गया हो और वरिष्ठ कर्मचारी अगले तीन वर्ष की अवधि के दौरान डाक्टरी दृष्टि से विकोटिकृत घोषित कर दिया जाए तथा उसे एक कनिष्ठ कर्मचारी की तरह अवश्य ही उसी संवर्ग में समाहित किया जाना हो परन्तु उस ग्रेड में कोई भी रिक्ति उपलब्ध न हो तो उसे इस शर्त पर अस्थाई तौर से कनिष्ठ ग्रेड में समाहित किया जाए कि वरिष्ठ ग्रेड में उत्पन्न होने वाली अगली रिक्ति पर उसे नियुक्त किया जाएगा। ऐसी रिक्ति होने पर और उस पर उसे नियुक्त किए जाने पर वरिष्ठता पुनः निर्धारित की जाए जैसे कि उपर्युक्त पैरा 17.5 में कहा गया है।

18.7 ऐसे मामले हो सकते हैं जहां एक वरिष्ठ कर्मचारी को विकोटिकरण से पहले उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी ग्रेड में समाहित किया गया हो और उसके बाद एक कनिष्ठ कर्मचारी उच्चतर ग्रेड पर पदोन्नत किया गया हो परन्तु अंततः डाक्टरी दृष्टि से विकोटिकृत हो जाता है और उच्चतर ग्रेड में वैकल्पिक विनियोजन के लिए पात्र हो जाता है। यह आशय नहीं है कि ऐसे मामले, जो समय बीत जाने के कारण घटित हुए हों उनकी दुबारा समीक्षा की जाए।

18.8 डाक्टरी दृष्टि से अयोग्य सीधी भर्ती वाले ऐसे कर्मचारी जिन्हें वैकल्पिक नियोजन की पेशकश की गई हो, उन्हें नयी कोटि के मौजूदा पैनेल में सबसे नीचे रखा जाए परन्तु उन कर्मचारियों से वरीयता दी जाए जिन्हें उस कोटि में अनुवर्ती पैनेल से नियुक्ति की पेशकश की जाती है।

(ई.55/एसआर6/15/3 दिनांक 22.10.1956, ई.(एनजी)56/एसआर6/15 दिनांक 14.3.1957, ई.(एनजी) 63/एसआर6/31 दिनांक 26.8.1964, ई. (एनजी) II/ 68/एसआर 6/32 दिनांक 26.10.1971, ई. (एनजी)II - 73/आरई1/16 दिनांक 11.4.1975, ई (एनजी) II-76/एसआर6/37 दिनांक 18.9.1976, ई. (एनजी) I-71 एसआर6/39 दिनांक 31.5.1977, ई. (एनजी) I-78/एसआर6/6 दिनांक 11.1.1979, ई. (एनजी)II/77/आरई3/2 दिनांक 2.9.1977, ई (एनजी) I/80/एसआर6/83 दिनांक 5.3.1981, भा.रे.स्था.नि. का पैरा 313 (क) (iii) और पैरा 313 (ख) 1989, 2009 का पुनर्मुद्रित संस्करण)।

18.9 29.04.1999 से पैरा 17 और उप-पैरा 17.1 से 17.8 तक के प्रावधान उसी सीमा तक संशोधित होंगे, जब तक कि भा.रे.स्था.नि., वॉल्यूम.1, 1989, 2009 के पुनर्मुद्रण संस्करण के प्रावधानों के अध्याय XIII असंगत नहीं हैं, एसीएस के रूप में संशोधित संस्करण सं.77 बोर्ड के दिनांक 29.04.1999 के पत्र सं.ई(एनजी) I-96/आरई-3/9 (2) के तहत जारी किया गया है, जो उपयुक्त वैकल्पिक पदों पर डाक्टरी दृष्टि से विकेटिकृत/अयोग्य/दिव्यांग रेल सेवकों को समान वेतनमान प्रदान करता है।

XII. ऐसे कर्मचारियों को वरिष्ठता जो प्रारम्भ में डाक्टरी दृष्टि से विकोटिकृत हैं परन्तु बाद में उपयुक्त घोषित किए गए हों:

19. जो कर्मचारी अपील के लिए निर्धारित समय-सीमा के अन्दर उचित रूप से अपील करते हैं या जिनकी अपील पर समय सीमा के अन्तर्गत यथोचित अवधि में विचार किया जाता है और वे योग्य घोषित कर दिए जाते हैं वे अपनी वरिष्ठता या मूल कोटि में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अपने दावे नहीं गवाएंगे।

19.1 अन्य कर्मचारियों के संबंध में, चाहे वे कर्मचारी हों जो विलंब से अपील प्रस्तुत करते हैं और उपयुक्त घोषित कर दिए जाते हैं या ऐसे कर्मचारी हों जिन्होंने इलाज करवाया हो तथा बाद में उपयुक्त घोषित कर दिए गए हों, यद्यपि उन्हें उनको मूल कोटि में पुनः तैनात करने की अनुमति दी जाए। उनकी वरिष्ठता, यदि वे पहले से स्थायी समझे जाते हों, ऐसे कर्मचारी से प्रभावित होगी जिसे मूल कोटि में उसके पुनः समाहन से पहले स्थायी कर दिया गया हो या स्थायी समझा जाता हो। बहरहाल, यदि वे मूल कोटि में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हों, तो पुनः पदस्थापित होने पर उनकी वरिष्ठता उन कर्मचारियों से नीचे होगी जो तब तक स्थायी कर दिए गए हैं परन्तु उनके मूल कनिष्ठों को तुलना में, जो अभी भी स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हों, से प्रभावित नहीं होगी।

(ई. (एनजी) 55/एसआर6/15/ दिनांक 30.06.1959, 25.8. 1959 और ई.(एनजी)64/एसआर6/31 दिनांक 18.3.1964)

19.2 रेलवे सेवक, जिनकी सेवाएं या तो समाप्त हो गई हैं, क्योंकि सभी छुट्टी की अधिकतम सीमा पार हो गई है या चिकित्सा प्राधिकारी, फुफ्फुसीय और कुष्ठ रोगियों के मामले में असाधारण छुट्टी देने की सिफारिश नहीं कर सकते हैं और रेलवे सेवा में फिर से नियुक्त हैं मेडिकल अथॉरिटी द्वारा काम करने के लिए फिट घोषित किए जाने पर, सभी स्थायी रेल सेवकों को अपने पुनः रोजगार की तारीख से पहले वरिष्ठता लेनी

चाहिए, बशर्त कि वे मेडिकल से पहले स्थायी थे या इस बीच पुष्टि की गई होगी। रेल सेवक जो मेडिकल अयोग्य के समय स्थानापन्न थे या अस्थायी थे या इस बीच की पुष्टि नहीं की गई थी, उन्हें कार्यवाहक या अस्थायी कर्मचारियों से नीचे रखा जाना चाहिए क्योंकि मामला उनके पुनः नियुक्ति की तारीख पर हो सकता है। (प्राधिकार: भा.रे.स्था.नि. वॉ.1 के पैरा 313 (ग))

XIII पदोन्नति पर कर्मचारियों को वरिष्ठता-प्रवरण तथा गैर-प्रवरण पद:

20. प्रवरण पदों के मामले में उम्मीदवारों के नाम वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएं किन्तु 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों को उत्कृष्ट श्रेणी में रखा जाएगा और उन्हें पैनल में वरिष्ठता के अनुसार उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा लेकिन यह संख्या पात्रता के क्षेत्र में उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों को संख्या के 50% से अधिक होगी।

20.1 (क) अचयन पदों पर पदोन्नति, वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर होगी, उपयुक्तता की जांच पद को भरने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मौखिक और/या लिखित परीक्षा या विभागीय परीक्षा या ट्रेड परीक्षा या सर्विस रिकार्ड की संवीक्षा, जैसा भी आवश्यक समझा जाए, के आधार पर की जाएगी। इसका अपवाद केवल वे मामले में होंगे जहां प्रशासनिक सुविधा जिसे लिखित रूप में रिकार्ड किया जाएगा, को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी, वरिष्ठतम उपयुक्त रेल कर्मचारी को छोड़कर किसी अन्य रेल कर्मचारी को विशुद्धतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में अल्पावधि रिक्ति के लिए जो नियमतः दो महीने और किसी भी स्थिति में चार महीने से अधिक न हो, नियुक्त करना आवश्यक समझे तथापि इससे कनिष्ठ रेल कर्मचारी को कोई ऐसा लाभ नहीं मिलेगा, जो उसको अन्यथा न मिलना हो और न ही उसे अपने उन वरिष्ठों की अपेक्षा जो उपयुक्त पाए जाएं, उसी पद पर बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त होगा। यदि एक रेल कर्मचारी की उसकी बारी पर उपयुक्त पाए जाने पर एक बार किसी ऐसी रिक्ति में पदोन्नति हो जाए जो आकस्मिक न हो तो उसे उस ग्रेड में उन सबसे वरिष्ठ माना जाए जिनकी पदोन्नति उनके उपयुक्त पाए जाने पर बाद में हुई हो। पदोन्नति के लिए रेल कर्मचारी की उपयुक्तता उच्च ग्रेड में रिक्ति होने की तारीख को या उसके यथासंभव नजदीक की तारीख को जांची जानी चाहिए।

(ख) यदि कोई कर्मचारी, पिछले परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ऐसी रिक्ति में पदोन्नति प्राप्त कर ले जो आकस्मिक न हो, लेकिन बाद का परीक्षण होने से पहले निम्न ग्रेड में प्रतिवर्तित हो जाए, तो वह उन सबसे वरिष्ठ होगा जो बाद के परीक्षण में अर्हता प्राप्त करेंगे। ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने आकस्मिक रिक्त स्थानों में स्थानापन्न रूप में कार्य किया हो या स्थानापन्न रूप में कार्य ही न किया हो, बाद में पदोन्नति होने पर वरिष्ठता के संबंध में किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

20.2 कोई कर्मचारी जो बीमारी, समय पर सूचना न मिलने आदि जैसे कारणों जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं, से चयन/उपयुक्तता परीक्षा में उपस्थित न हो सका हो, तो उसे यथोचित समय में पूरक चयन/परीक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए और उपयुक्त पाए जाने पर उससे पहले पदोन्नति किए गए कनिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में प्रोफार्मा वरिष्ठता स्थिति में रखा जाना चाहिए।

20.3 किसी कर्मचारी ने पैनल में नीचे रखे जाने पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया है लेकिन उससे वरिष्ठ कर्मचारी ने बीमारी, प्रशासन द्वारा समय पर न छोड़े जाने आदि की वजह से स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं किया हो तो बाद के कर्मचारी की वरिष्ठता समाप्त नहीं होगी। लेकिन यदि वरिष्ठ कर्मचारी ने अपने स्वयं के कारणों की वजह से स्थानापन्न रूप से कार्य न किया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के संरक्षण के लिए हकदार नहीं होगा।

20.4 जिस कर्मचारी के बारे में विदेश में प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण प्रवरण/उपयुक्तता परीक्षा के लिए विचार नहीं किया जा सका हो तो वापस आने पर यदि यह पाया जाए कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को उस प्रवरण/उपयुक्तता परीक्षा के आधार पर पदोन्नत किया गया है जिसके लिए उनको बुलाया नहीं गया था तो उसके बारे में अगले प्रवरण/उपयुक्तता परीक्षा के लिए विचार किया जाए तथा यदि चुन लिए जाए तो उनकी वरिष्ठता पहले के पैनल के कनिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में समायोजित कर ली जाए।

20.4.1 प्रवरण पद के मामले में, यदि उपरिनिर्दिष्ट किसी कर्मचारी को उत्कृष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो उसे बाद के प्रवरण में वरिष्ठता तथा ग्रेडेशन के अनुसार पहले के पैनल में अन्तर्विष्ट कर लिया जाए।

20.5 (क) एससी/एसटी रेल सेवक आरक्षण/रोस्टर के नियम के कारण अपनी पदोन्नति पर परिणामी वरिष्ठता के भी हकदार होंगे; और

(ख) यह 17 जून 1995 से लागू होगा।

(रेलवे बोर्ड का दि. 8.3.2002 का पत्र सं.ई(एनजी)।-97/एसआर/6/3 (वालयूम-111))

20.6 पदोन्नति से इन्कार का प्रभाव:-

(क) प्रवरण पद:- जिस कर्मचारी ने पदोन्नति के लिए क्विष्ट रूप से या अन्यथा इन्कार कर दिया हो तो उसे एक वर्ष के लिए आगे पदोन्नति के लिए वंचित कर दिया जाता है परन्तु उसे स्टेशन में उसी पद पर एक वर्ष तक रहने की अनुमति दी जाती है यदि कर्मचारी पुनः पदोन्नति के लिए इन्कार कर देता है तो उसका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा। उसे इस तथ्य के बावजूद भी प्रवरण में पुनः बैठना होगा कि इस बीच उसने पैनल में उसको स्थिति के आधार पर अल्पकालिक रिक्ति पर लगातार स्थानापन्न रूप से कार्य किया है। वरिष्ठता पदोन्नति की तारीख से निश्चित की जाएगी और वह उन सभी व्यक्तियों से कनिष्ठ होगा जो उसी पैनल से उससे पहले पदोन्नत किए गए हैं चाहे पैनल में उसकी स्थिति कुछ भी रही हो। लेकिन, बाद में नए सिरे से आयोजित किए गए प्रवरण के फलस्वरूप दंड को वर्ष की अवधि के दौरान उसी पदोन्नति कोटि में पदोन्नत किए गए दूसरे कर्मचारी से उसकी वरिष्ठता नीचे नहीं होगी।

(ख) गैर-प्रवरण पद:- ऐसा कर्मचारी पदोन्नति के लिए एक वर्ष के लिए वंचित हो जाएगा परन्तु उसे एक वर्ष के लिए स्टेशन से दूर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यदि अपरिहार्य घरेलू कारण हों, यदि वह पुनः पदोन्नति के लिए इन्कार करता है तो उसे एक वर्ष के लिए पदोन्नति के लिए और वंचित कर दिया जाना चाहिए। दूसरी बार पदोन्नति के लिए इन्कार करने पर, प्रशासन उसे उसी ग्रेड में बाहर के स्टेशन पर स्थानांतरित कर सकता है तथा कर्मचारी को पदोन्नति के लिए उसकी बारी आने पर उसे उपयुक्तता परीक्षा में बैठना होगा। वह उन सभी कर्मचारियों से रैंक में कनिष्ठ होगा जो उस अवधि के दौरान पदोन्नत किए गए थे जिसके दौरान उसने पदोन्नति के इन्कार किया था चाहे उसमें सापेक्ष वरिष्ठता कुछ भी हो तथापि बाद में उपयुक्तता परीक्षा के परिणामस्वरूप, दंड को एक वर्ष की अवधि के दौरान उसी कोटि में पदोन्नत हुए अन्य कर्मचारी से वह वरिष्ठता नीचे नहीं होगी।

20.7 बड़ी घरेलू समस्याओं अथवा अन्य मानवीय दृष्टिकोणों के आधार पर प्रशासन बृहत् अन्य अवधियों के लिए पदोन्नति को स्थगित रखने के कर्मचारी के अनुरोध पर विचार कर सकता है। उस अवधि के पश्चात संबंधित कर्मचारी पदोन्नत कर दिया जाएगा बशर्ते रिक्ति उपलब्ध हो तथा पदोन्नति की तारीख से उसे वरिष्ठता मिलेगी।

20.8 अनुभाग अधिकारी (लेखा), स्टेशन निरीक्षक/भंडार लेखा, द्वारा पदोन्नति से इंकार करने के मामले में:-

- (i) संबंधित कर्मचारियों को प्रत्येक अवसर पर जब वे पदोन्नति लेने से मना करें, एक वर्ष के लिए पदोन्नति से वर्जित कर दिया जाना चाहिए।
- (ii) उन पर पदोन्नति के लिए तभी विचार किया जाना चाहिए, जब वर्ष की समाप्ति के बाद कोई रिक्ति हो; तथा
- (iii) उन्हें पदोन्नति की तारीख से ही वरिष्ठता दी जाएगी। ऐसी स्थिति में वे उन सभी व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे, जो वर्जना की अवधि के दौरान उसी पैनल से और साथ ही उत्तरवर्ती पैनल (पैनलों) से आए हुए हैं।
(रेलवे बोर्ड का पत्रसं.ई(एनजी)।-91/पीएम/9/7 दिनांक 13.02.1992)

(ई.54/पीएम/1/19/3 दि. 4.4.1955, ई(एनजी)62/पीएम/1/91 दि.9.8.65, ई(एनजी)।/72/पीएम/1/211 दि.14.12.72, ई(एनजी)।/70/पीएम/1/168 दि.3.9.76, ई(एनजी)।/78/पीएम/1/142 दि.25.7.79, 27/30.10.79, ई(एनजी)।/77/पीएम/1/269 दि.3.5.80 और ई(एनजी)।/80/पीएम/1/80 दि.31.12.80)

20.9 पदोन्नति से इंकार के लिए शास्ति एक बार पदोन्नति किए जाने के बाद ग्रेड में परावर्तन चाहने के मामलों में लागू होगी।

(प्राधिकार: आईआरईएम, वाल्यूम-1 के पैरा 224 के नीचे टिप्पण 4)

XIV गलत पदोन्नतियां:

21. कभी-कभी प्रशासन की गलती के कारण उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के लिए कर्मचारियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह या तो पात्र कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठता के गलत निर्धारण अथवा चयन बोर्ड के समक्ष पूरे तथ्य न रखने के कारण हो सकता है। मोटे तौर पर, ये दो प्रकार से हो सकता है:-

- (क) जहां प्रशासनिक गलती के कारण एक व्यक्ति बिलकुल ही पदोन्नत न किया गया हो; तथा
- (ख) जहां एक व्यक्ति पदोन्नत तो कर दिया गया है परन्तु उस तारीख से नहीं जिससे उसे पदोन्नत कर दिया गया होता यदि प्रशासनिक गलती न हुई होती।

21.1 ऐसे प्रत्येक मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। वे कर्मचारी जो प्रशासनिक गलती के कारण पदोन्नत नहीं हुए हैं, पदोन्नति होने पर पहले से ही कार्य कर रहे उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में उनकी सही वरिष्ठता निश्चित की जानी चाहिए चाहे उनकी पदोन्नति की तारीख कोई भी हो।

21.2 किसी पद पर मूल अथवा स्थानापन्न क्षमता से कार्य करने वाले रेल कर्मचारीकी नियुक्ति अथवा पदोन्नति की अधिसूचना के आदेश यदि बाद में तथ्यों के आधार पर गलत पाए जाएं तो उन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए तथा रेल कर्मचारी की निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके तत्काल उस स्थिति में लाना चाहिए जिसमें वह होता यदि नियुक्ति पर पदोन्नति के गलत आदेश न दिए गए होते।

21.3 संबंधित रेल कर्मचारी द्वारा उस पद पर जिसमें उसे गलती से पदोन्नत कर दिया गया था, की गई सेवा को उस ग्रेड में वेतनवृद्धि अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाना चाहिए।

21.4 गलत पदोन्नति के परिणामस्वरूप की गई अनुवर्ती पदोन्नतियों/नियुक्तियों को भी उपर्युक्त उल्लिखित पद्धति के अनुसार नियमन करना अपेक्षित होगा।

(ई(एनजी) 63/पीएम/1/43 दिनांक 6.9.63 और ई(एनजी) 63/पीएम/1/92 दिनांक 17.9.64)

XV अधिशेष कर्मचारियों की वरिष्ठता

22. पुनः तैनात अधिशेष कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण:

अधिशेष कर्मचारी नई इकाई/विभाग में उनकी वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती इकाई/विभाग में प्रदान की गई विगत सेवा के लाभ के हकदार नहीं है। ऐसे कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता पदोन्नति आदि के मामले में नया प्रवेशकर्ता माना जाएगा।

जब किसी इकाई/विभाग में ग्रेड विशेष में दो या उससे अधिक कर्मचारी किसी अन्य इकाई/विभाग में किसी ग्रेड में आमेलन हेतु विभिन्न तारीखों पर चुने जाते हैं तो पश्चवर्ती इकाई में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता उनकी पूर्ववर्ती इकाई/विभाग के समान होगी, बशर्ते कि:-

- (i) उन तारीखों के बीच उस ग्रेड में नियुक्ति हेतु किसी सीधी भर्ती का चयन नहीं हुआ हो; और
- (ii) उन तारीखों के बीच उस ग्रेड में नियुक्ति हेतु किसी प्रोमोटी का चयन नहीं हुआ हो।

जब किसी इकाई/विभाग में ग्रेड विशेष में दो या उससे अधिक अधिशेष कर्मचारी किसी अन्य इकाई/विभाग में किसी ग्रेड में पुनः तैनाती हेतु साथ-साथ चुने जाते हैं तो पश्चवर्ती इकाई/विभाग में पुनः तैनाती पर उस ग्रेड विशेष में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता उनकी पूर्ववर्ती इकाई/विभाग के समान होगी। (प्राधिकार: रेल मंत्रालय का दिनांक 25.05.2004 का पत्र सं.ई(एनजी)-1/2000/एसआर/6/28 अग्रिम शुद्धिपर्ची सं.159)

23. वरिष्ठता पर दंड स्वरूप वेतन या ग्रेड में अवनति होने का प्रभाव:-

- (i) काल वेतनमान में निम्न स्तर पर अवनति - वेतन में कमी होने से जो एक उच्च ग्रेड या श्रेणी से निम्न ग्रेड या श्रेणी में अवनति से भिन्न है, वरिष्ठता सूची में रेल कर्मचारी के स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेतन में कमी का आदेश देने वाले प्राधिकारी को निरपवाद रूप से वह अवधि अवश्य बतानी चाहिए जिस अवधि के लिए आदेश लागू रहेगा और साथ में यह भी बताना चाहिए कि पुनःस्थापन पर वेतन में कमी की अवधि के कारण कर्मचारी की भावी वेतनवृद्धि स्थगित होगी या नहीं और यदि होगी तो कितनी अवधि के लिए।
- (ii) निम्न सेवा ग्रेड या पद पर या निम्न काल वेतनमान में अवनति।

(क) जहां अवनति शास्ति आदेश में अवनति की अवधि न दी गई हो और आदेश में रेल कर्मचारी की स्थायी रूप से पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो वहां स्पष्टतः पुनः पदोन्नति या वरिष्ठता निश्चित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा।

(ख) जहां अवनति शास्ति आदेश में अवनति अवधि न दी गई हो, वहां रेल कर्मचारी को अनिश्चित काल के लिए अवनत माना जाए अर्थात् उस तारीख तक जब तक अवनति के आदेश के बाद उसके काम के आधार पर उसे पदोन्नति के लिए योग्य न समझा जाए। पुनः पदोन्नति होने पर ऐसे रेल सेवक की वरिष्ठता पुनः पदोन्नति होने की तारीख से निश्चित की जानी चाहिए। ऐसे सभी मामलों में व्यक्ति उच्च सेवा ग्रेड या पद में मूल वरिष्ठता पूरी तरह खो देता है। पुनः पदोन्नति पर ऐसे रेल कर्मचारी की वरिष्ठता अवनति से पहले ऐसे ग्रेड या पद में की गई सेवा पर विचार किए बिना पुनः पदोन्नति की तारीख से निश्चित की जानी चाहिए।

(ग) उन मामलों में जहां किसी निम्न सेवा ग्रेड या पद या निम्न काल वेतनमान में अवनति शास्ति विशेष अवधि के लिए दी गई हो वहां संबंधित कर्मचारी को उसी पद पर जिस पद से अवनति हुई थी; स्वतः पुनः पदोन्नति की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में मूल सेवा ग्रेड या पद या काल वेतनमान में रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 के नियम 6(vi) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार नियत की जानी चाहिए जैसा कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 22.02.1974 के पत्र सं.ई(डी एंड ए)/73/आरजी 6-5 और दिनांक 28.11.2002 के पत्र सं.ई(डी एंड ए)/2001/आरजी 6-58 के तहत स्पष्ट किया गया है।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 10.08.2007 का पत्र सं.ई(डी एंड ए)/2007/आरजी 6-24 - अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.195)

(घ) जहां किसी रेल कर्मचारी की उच्च ग्रेड या श्रेणी से निम्न ग्रेड में अवनति हो, चाहे वह अवनति विशिष्ट अवधि के लिए हो या अनिश्चितकाल के लिए, निम्न ग्रेड में उसकी वरिष्ठता उस स्थान संदर्भ में नियत की जाए, जिसमें वह उस उच्च श्रेणी या श्रेणी में जिससे उसकी अवनति हुई है, पदोन्नति न पाने की दशा में हकदार होता।

(प्राधिकार:आईआरईएम, 1989, पुनर्मुद्रित संस्करण 2009 का पैरा 322)

24. रेल इंजन कलपुर्जा कारखानों में सीधे भर्ती किए गए कर्मचारी

उन सभी व्यक्तियों, जिन्हें रेल इंजन कलपुर्जा कारखानों में सीधे भर्ती किया गया था, को 01.08.1961 से डीज़ल कलपुर्जा कारखानों में स्थानांतरित किया माना जाएगा, जिस तारीख को डीज़ल कलपुर्जा कारखानों की स्थापना की गई थी। डीज़ल रेलइंजन कलपुर्जा कारखानों में उस समय उनकी सापेक्ष वरिष्ठता नियत करने के लिए 01.08.1961 को उनके ग्रेड और उस ग्रेड में अनाकस्मिक सेवा अवधि को आधार माना जाएगा

(प्राधिकार:आईआरईएम वॉल्यूम-1 का पैरा 323)

25. डीज़ल रेलइंजन कारखानों में सीधे भर्ती किए गए कर्मचारी

डीज़ल रेलइंजन कारखाने की स्थापना की तारीख को जो प्रशिक्षणार्थी और शिक्षु अपना प्रशिक्षण/शिक्षुता ले रहे थे उन्हें उसी रूप में लिया माना जाएगा और उनका प्रशिक्षण पूरा होने पर तथा प्रशिक्षण/शिक्षुता के पूरा होने पर बनाई गई योग्यता सूची के आधार पर कार्यपद में आमेलन पर उनकी वरिष्ठता तय की जाएगी।

किसी पिछली तारीख को पैनेल से डीज़ल रेलइंजन कारखाने में सीधे भर्ती किए गए प्रशिक्षणार्थियों और शिक्षुओं से भिन्न व्यक्ति किसी बाद की तारीख के पैनेल से भर्ती किए गए व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे और एक ही पैनेल से भर्ती के मामले में वरिष्ठता का अवधारणा योग्यता क्रम से व्यवस्थित पैनेल में व्यक्तियों की स्थिति के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों और शिक्षुओं के मामले में वरिष्ठता का अवधारणा प्रशिक्षण के समापन के समय बनाई गई योग्यता सूची के आधार पर किया जाएगा।

(प्राधिकार:आईआरईएम वॉल्यूम-1 का पैरा 324)

26. रेलों अथवा उत्पादन इकाइयों से स्थानांतरित कर्मचारी

(1) रेल इंजन कलपुर्जा कारखानों में स्थानांतरित किए गए व्यक्तियों को 01.08.1961 से उसी ग्रेड में जिसमें वे अपनी मूल रेलवे में होते हुए यदि उनका स्थानांतरण न हुआ होता डीज़ल रेल इंजन कारखानों में स्थानांतरित किया गया माना जाएगा, उस ग्रेड में उस तारीख को उनके द्वारा धारित अनाकस्मिक सेवा अवधि उनकी सापेक्ष वरिष्ठता का अवधारण करेगी।

(2) किसी रेलवे/उत्पादन इकाई से 01.08.1961 को या उसके बाद लेकिन लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के मामले में 01.04.1965 तक और तकनीकी तथा गैर-लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के मामले में 01.01.1969 तक डीज़ल रेल इंजन कारखानों में स्थानांतरित किए गए व्यक्तियों को स्थानांतरण की तारीख को उनकी मूल रेलवे/उत्पादन इकाई में उनके द्वारा धारित ग्रेड में स्थानांतरित किया माना जाएगा और उस ग्रेड में उनके द्वारा की गई अनाकस्मिक सेवा अवधि के आधार पर डीज़ल रेल इंजन कारखानों में वरिष्ठता नियत की जाएगी।

(प्राधिकार:आईआरईएम वॉल्यूम-1 का पैरा 325)

27. निर्माण/परियोजनाओं से स्थानांतरित कर्मचारी

(1) ऐसे व्यक्तियों की वरिष्ठता, जिन्हें किसी निर्माण/परियोजना से रेल इंजन कलपुर्जा कारखाने/ डीज़ल रेल इंजन कारखाने में स्थानांतरित कर दिया गया हो और जिनका रेलवे/उत्पादन इकाई में किसी पद पर धारणाधिकार हो, उपर्युक्त नियम 25 में यथानिर्दिष्ट रीति से स्थानांतरण की तारीख को उनकी मूल रेलवे/उत्पादन इकाई में उनके द्वारा धारित स्थिति के आधार पर नियत की जाएगी।

(2) ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें किसी निर्माण/परियोजना से रेल इंजन कलपुर्जा कारखाने/ डीज़ल रेल इंजन कारखाने में स्थानांतरित कर दिया गया हो और जिनका किसी रेलवे/उत्पादन इकाई पर कोई धारणाधिकार न हो, उस कोटि, जिसमें रेल इंजन कलपुर्जा कारखाने/ डीज़ल रेल इंजन कारखाने में कार्यग्रहण करने की तारीख को नियमानुसार सीधी भर्ती अनुज्ञेय हो, के निम्नतम ग्रेड में स्थानांतरित किया गया माना जाएगा। तत्पश्चात, उनके संबंध में उसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी जिस प्रकार रेल कलपुर्जा/डीज़ल रेलइंजन कारखाने में सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के संबंध में की जाती है, देखें उपर्युक्त नियम 23 और 24 के तहत।

(प्राधिकार: आईआरईएम वॉल्यूम-1 का पैरा 326)

28. रेल कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची का अवलोकन करने की अनुमति:

(क) रेल कर्मचारियों की उन वरिष्ठता सूचियों को देखने की अनुमति दी जा सकती है, जिनमें उनके नाम हों या यदि ऐसा करना सुविधाजनक न हो तो अनुरोध किए जाने पर उन्हें वरिष्ठता सूची में उनका स्थान बतलाया जा सकता है।

(ख) संबंधित कर्मचारियों को वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी वरिष्ठता के संबंध में अभ्यावेदन देने की अनुमति दी जा सकती है। इस अवधि के बाद वरिष्ठता सूची में संशोधन के मामलों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

(भारतीय रेल स्थापना नियमावली 1989, पुनर्मुद्रित संस्करण 2009 का पैरा 321)

XVI सामान्य:

(क) इस मास्टर परिपत्र का हवाला देते समय इसके उचित मूल्यांकन के उद्देश्य से इसमें उल्लिखित मूल पत्रों को पढ़ा जाए। यह परिपत्र मौजूदा अनुदेशों का एक समेकन मात्र है, इसे मूल परिपत्रों के बदले में नहीं समझा जाना चाहिए। कोई संदेह होने की स्थिति में मूल परिपत्र को प्रामाणिक मानकर इस पर भरोसा किया जाए।

(ख) जब तक मूल परिपत्र में विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तो संदर्भित मूल परिपत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेश उनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। पुराने मामलों पर कार्रवाई करते समय तत्समय लागू अनुदेशों का अनुपालन किया जाए; और

(ग) यदि इस विषय से संबंधित कोई ऐसा परिपत्र, जिसका अधिक्रमण नहीं किया गया है, इस मास्टर परिपत्र को तैयार करते समय छूट गया हो, तो इस प्रकार गलती से छूट गए उस परिपत्र को वैध और लागू माना जाए। इस तरह छूट गया कोई परिपत्र, यदि कोई हो, रेलवे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

कृपया पावती दें।

डी. जोसफ

(डी. जोसफ)

संयुक्त निदेशक स्थापना (एन)

रेलवे बोर्ड